Cirrus CMYK Graphics (P.) Ltd.

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2006-2007

सत्यमेव जयते

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

Ministry of Minority Affairs

भारत सरकार

Government of India

Cirrus CMYK Graphics (P.) Ltd.

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT
2006-2007

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Ministry of Minority Affairs

भारत सरकार
Government of India

Web-site: www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1-5
2.	विशिष्टितायें	5-9
3.	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	10-11
4.	कोचिंग और सम्बद्ध सहायता की योजना	12
5.	अल्पसंख्यक समुदायों से संबधित छात्रों के लिए मैरिट–एवं–साधन आधारित छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	13
6.	सांविधिक/वैधानिक/स्वायत्त निकाय/निगम/आयोग	14
7.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	15-18
8.	वक्फ प्रशासन एवं केंद्रीय वक्फ परिषद्	19-23
9.	ख़्वाजा दरगाह साहेब अधिनियम, 1955 का प्रशासन	24
10.	भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त	25
11.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	26-28
12.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	29-31
13.	राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग	32
14.	उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन	33
15.	महिला–पुरूष संबंधी मुद्दे	34
	संलग्नक	35-51

अध्याय 1

प्रस्तावना

संगठन

1.1 अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर एक अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने, योजना, समन्वय, निगमित ढ़ाँचे एवं विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा समीक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नामक एक नए मंत्रालय की 29 जनवरी 2006 को स्थापना की गई।

1.2 इस मंत्रालय का कार्यभार श्री ए.आर. अंतुले, माननीय केंद्रीय मंत्री को सौपा गया है। श्रीमती सरिता प्रसाद, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। श्री एम.एन. प्रसाद, ने इस मंत्रालय में सचिव के पद का कार्यभार दिनांक 01 मार्च 2006 को ग्रहण किया। इसके बाद संयुक्त सचिवों के तीन पद मंजूर किये गये थें। ये संयुक्त सचिव, नीति, आयोजना, समन्वय और मूल्यांकन, संस्थान एवं मीडिया तथा स्थापना और वक्फ स्कंधो का काम देखेंगे। पाँच निदेशक/उप सचिव उनकी सहायता करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व अल्पसंख्यक प्रभाग का 27 व्यक्तियों का कोर स्टाफ दिनांक 10 मार्च 2006 को इस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया था। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय के लिए 29 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई। इस मंत्रालय की स्वीकृत स्टाफ संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण **अनुबंध I** पर है।

1.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध II** पर दिया गया है।

कार्यों का आबंटन

1.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध समग्र नीति, योजना, समन्वय, निगमित ढ़ाँचे तथा विकासात्मक कार्यक्रमों से संबंधित एक व्यापक चार्टर है। इस मंत्रालय को आबंटित किये गए कार्यों की सूची नीचे दी गई हैः–

1. समग्र नीति, योजना, समन्वय और अल्पसंख्यक समुदायों के नियामक और विकासात्मक कार्यक्रमों का मूल्यांकन और समीक्षा करना।

2. कानून और व्यवस्था के मामलों को छोड़कर, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।

3. अन्य केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की पहल करना।

4. भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित और भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के कार्यालय से संबंधित मामले।

5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।

6. शरणार्थी सम्पति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (जो अब निरस्त हो गया है) के अंतर्गत शरणार्थी वक्फ सम्पतियों से संबंधित कार्य।

7. एंग्लो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।

8. विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में गैर–मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।

9. विदेश मंत्रालय के परामर्श से पडोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।

10. धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान, विभाग में निपटाये जा रहे विषयों से संबंधित धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधि।

11. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।

12. वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केंद्रीय वक्फ परिषद।

13. दरगाह़ ख्वाज़ा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)।

14. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त प्रबंध।

15. अल्पसंख्यकों के लिए केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

16. अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के संबंधित उपाय करना।

17. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।

18. न्यायमूर्ति सच्चर समिति से संबंधित सभी मामले।

19. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम।

20. अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य मामला।

विभिन्न अधिनियमों का प्रशासन और कार्यान्वयन

1.5 यह मंत्रालय निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है:–

(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992,

(ii) वक्फ अधिनियम, 1995,

(iii) दरगाह ख्वाज़ा साहिब अधिनियम, 1955

आवास

1.6 यह मंत्रालय 19 फरवरी 2007 से पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली में स्थित है।

सरकारी काम में हिंदी का प्रयोग

1.7 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए है। इस मंत्रालय में 14–21 सितम्बर 2006 के दौरान हिंदी सप्ताह मनाया गया था। मंत्रालय ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार महत्वपूर्ण आदेश/अधिसूचना द्विभाषी रूप से जारी किए। इस मंत्रालय ने 14 सितम्बर 2006 को हिंदी दिवस मनाया।

1.8 इस मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया जा सका, क्योंकि वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और आशुलिपिक/टंकक की तैनाती अभी की जानी है।

सर्तकता एकक

1.9 श्री ए. लुईखम, संयुक्त सचिव को 10 नवम्बर 2006 से अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें एक निदेशक और एक अनुभाग अधिकारी द्वारा सहायता दी जा रही है। जो अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त इस काम को भी देखते है।

1.10 कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकता सप्ताह): मंत्रालय ने देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने के लिए 19–25 नवम्बर, 2006 तक कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह) मनाया।

ई–गवर्नेंस

1.11 मंत्रालय की वेब साईट को यूआरएल www.minorityaffairs.gov.in पर आरम्भ कर दिया गया है। मंत्रालय के कार्यकलापों और कार्यक्रमों के बारे में, मूल सूचना अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ''प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम एवं भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति'' पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.12 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस मंत्रालय से संबंधित सभी मामलों के लिए श्री एस.सी. गुलाटी, उप सचिव को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है। श्री सुजीत दत्ता, संयुक्त सचिव को अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। मंत्रालय ने इस अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अनुसार एक सूचना पुस्तिका निकाली है। इसे इस मंत्रालय की वेब साईट पर उपलब्ध कराया गया है।

बजट

1.13 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए आरम्भ में वर्ष 2006–07 हेतु 2 करोड़ रूपए (गैर योजना) का आबंटन किया गया। चल रही योजनाओं के लिए गैर योजना हेतु 7.49 करोड़ रूपए और आयोजना योजनाओं के लिए 19.89 करोड़ रूपए की राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट से तकनीकी रूप से अंतरित की गई थी। इसके अलावा अनुपूरक अनुदानों के पहले बैच के माध्यम से 111.00 करोड़ रूपए (योजना) और 3.14 करोड़ रूपए (गैर योजना) की राशि इस मंत्रालय को आबंटित की गई। कार्यक्रम/योजनावार आबंटन दर्शाने वाला एक विवरण **अनुबंध III** पर हैं।

अध्याय 2

विशिष्टिताएं

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

2.1 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी।

2.2 इस कार्यक्रम के उद्देश्य ये हैं – (क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, (ख) अल्पसंख्यकों के लिए वर्तमान और नवीन योजनाओं के द्वारा, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में, स्वःरोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता और राज्य और केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती में समान हिस्सा सुनिश्चित करने में (ग) ढ़ाँचागत विकास योजनाओं में उनके लिए उचित हिस्सा सुनिश्चित करके अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार करना, (घ) सांप्रदायिक दुर्भाव और हिंसा का निवारण और नियंत्रण करना।

2.3 इस नए कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के अलाभान्वित वर्गों तथा पदलितों तक पहुँचाना सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक समान रूप से प्रवाहित होते है, नए कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थित करने की व्यवस्था है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहाँ कही संभव हो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

2.4 जैसा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम में कहा गया है, अधिकांश योजनाओं के संबंध में, जिनमें यह निर्धारण हो सकता है, वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्ययों का 15 प्रतिशत का निर्धारण पहले ही कर दिया गया है। ये लक्ष्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचित कर दिए गए है।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की पहचान

2.5 2001 की जनगणना के आंकडों और पिछड़ापन के मापदंड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के पहचान की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। सूची के एक बार अनुमोदित होने के बाद इन जिलों के पिछड़ेपन की समस्या का समाधान, समुचित सुधारक उपायों के माध्यम से करना संभव हो जाएगा।

अल्पसंख्यकों के भौगोलिक फैलाव पर अंतर मंत्रालयी कार्यदल

2.6 भारत में अल्पसंख्यकों के भौगोलिक वितरण के नीति प्रभावों और, विशेषकर वितरण में शहरी पूर्वाग्रह की मंत्रालय द्वारा विस्तार से जांच की गई है। अल्पसंख्यक जनसंख्या के वितरण के नीति प्रभावों को देखने और आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए नागरिक सुविधाओं का तथा रोजगार संभावनाओं के क्षेत्र में उपयुक्त उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयी कार्यदल के गठन करने का निर्णय लिया गया है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

2.7 ये प्रतिष्ठान, अपनी संचित निधि पर अर्जित ब्याज में से अपनी योजनाओं का कार्य वहन कर रहा है, जो कि इसकी आय का एकमात्र स्रोत है। यह संचित निधि इस प्रतिष्ठान को योजना सहायता के एक भाग के रूप में दी गई है। इस संचित निधि को वर्ष 2006–07 के दौरान 100 करोड़ रूपए तक बढ़ाया गया है। इस समय प्रतिष्ठान के पास 200 करोड़ रूपए की एक संचित निधि है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

2.8 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के कार्यकरण की संमीक्षा करने और इस निगम के प्रचालनात्मक निष्पादन में सुधार के लिए एक कार्य योजना का सुझाव देने हेतु व्यावसायिक बैंकरों और वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र आने की आशा है।

नीति और योजना

2.9 अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण पर कार्यदल ने अगस्त, 2006 में अपना काम शुरू किया था और अक्टूबर, 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने अपनी वार्षिक योजना 2007–08 और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के प्रस्ताव, योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिए हैं।

उच्च स्तरीय समिति

2.10 भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी। इस उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को 17 नवम्बर, 2006 को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में 30 नवम्बर, 2006 को पेश कर दिया गया है। रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

2.11 धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड़ निर्धारण की एक विस्तृत जांच करने और शिक्षा तथा सरकारी रोजगार में आरक्षण सहित उनके कल्याण के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट 31 मार्च, 2007 तक प्राप्त होने की संभावना है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

2.12 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 02 नवम्बर, 2006 को राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के पाँचवें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की पाँच वार्षिक रिपोर्टें, अर्थात 4वीं, 5वीं, 7वीं, 10वी, और 11वीं रिपोर्ट, जो वर्ष 1996–97, 1997–98, 1999–2000, 2002–03 और 2003–04, से संबंधित थी, की गई कार्रवाई के ज्ञापन

सहित, संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई हैं। शेष रिपोर्टें वर्तमान सत्र में रखे जाने की संभावना है।

2.13 संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) विधेयक, 2004, लोक सभा में 23 दिसम्बर, 2004 को पेश किया गया था जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के संबंध में है। इसके साथ–साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग(निरसन) विधेयक, 2004 भी सदन में पेश किया गया था। यह महसूस किया जाता है कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने से अल्पसंख्यकों में अधिक विश्वास का संचार होगा और यह आयोग उनके हितों की सुरक्षा करने में अधिक प्रभावी होगा। इन विधेयकों की जांच करने और उनपर रिपोर्ट देने के लिए इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता की स्थायी समिति को भेजा गया था। इस स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में 21 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत की थी। स्थायी समिति की सिफारिशों की सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श करके जांच की गई है और आशा है कि शासकीय संशोधनों को संसद में शीघ्र ही पेश किया जाएगा।

केन्द्रीय वक्फ् अधिनियम, 1995

2.14 इस अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए, वक्फ् अधिनियम, 1995 की एक विस्तृत समीक्षा भी सरकार के विचाराधीन है।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

2.15 श्री ए.आर अंतुले, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की अध्यक्षता में 15 अप्रैल, 2006 को, नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों (पंडितों) के साथ एक पारस्परिक वार्तालाप सत्र का आयोजन किया गया था।

2.16 लार्ड आदम पटेल के नेतृत्व में ब्रिटिश मुसलमानों के एक छः सदस्यीय शिष्टमंडल ने श्री ए. आर. अंतुले, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से 15 मई, 2006 को भेंट की थी।

अल्पसंख्यक कार्यमंत्री, सचिव तथा बिट्रिश शिष्टमंडल के कुछ सदस्यों के साथ।

2.17 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संसद सदस्यों की एक बैठक 05 दिसम्बर, 2006 को संसद सौध में हुई। श्री ए. आर. अंतुले, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी।

अध्याय 3

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

3.1 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15–सूत्री कार्यक्रम, मई 1983 में आरम्भ किया गया था। इसे आम तौर पर ''अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15–सूत्री कार्यक्रम'' के रूप में जाना जाता था। भारत के राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को 25 फरवरी, 2005 के संबोधन में यह घोषणा की थी कि सरकार, कार्यक्रम विशिष्ट हस्तक्षेपों को शामिल करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15–सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देगी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2005 को राष्ट्र के नाम अपने भाषण में अन्य बातों के साथ–साथ यह घोषणा की थी कि ''हम अल्पसंख्यकों के लिए 15–सूत्री कार्यक्रम को संशोधित करके नया रूप देंगे। नए 15–सूत्री कार्यक्रम में निश्चित लक्ष्य होंगे, जिन्हें एक विशिष्ट समय सीमा में प्राप्त करना होगा।

3.2 उक्त प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य है; (क) शिक्षा के लिए अवसरों को बढ़ावा, (ख) वर्तमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक कार्यकलापों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान भाग तथा रोजगार प्रदान करना, स्व–रोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता, और राज्य व केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती, सुनिश्चित करना है (ग) ढ़ाँचा विकास योजनाओं में उनके लिए उचित हिस्सा सुनिश्चित करने के द्वारा अल्पसंख्यकों के जीवन स्तरों में सुधार करना, और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा का निवारण एवं नियंत्रण करना। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की एक प्रति **अनुबंध–IV** पर है।

3.3 इस नए कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, पद्दलितों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के अलाभन्वित वर्गों तक पहुँचाना सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों को समान रूप से प्रवाहित होते हैं, नए कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का कुछ भाग अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में अवस्थित करने की व्यवस्था है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहाँ कहीं सम्भव हो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

3.4 जैसाकि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए कार्यक्रम में व्यवस्था है, अधिकांश योजनाओं, जिनमें निर्धारण हो सकता है, में वास्तविक व वित्तीय परिव्ययों का 15 प्रतिशत निर्धारण कर दिया गया है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह लक्ष्य सूचित कर दिए गए हैं। जारी किए गए दिशा निर्देशों की एक प्रति **अनुबंध–V** पर है।

अध्याय 4

कोचिंग और सम्बद्ध सहायता की योजना

4.1 अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय, शिक्षा और आर्थिक विकास में अत्यन्त पिछड़े हैं। इन समुदायो से संबंधित अधिकांश उम्मीदवारों को विख्यात इंजीनियरिंग/मेडिकल/बिजनेस कालेज में उचित कोचिंग के अभाव में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले से वंचित किया जाता है। कुछ ऐसे मामले भी है जहाँ अल्पसंख्यक छात्र ऐसे संस्थानों में दाखिला प्राप्त करने में सफल हो गए थे, लेकिन शेष क्लास के साथ बराबरी करने तथा इन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्हें उपचारी कोचिंग की आवश्यकता है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों से अनेक उम्मीदवार, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए उचित कोचिंग के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते है।

4.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को उनके ज्ञान, कौशलों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए सक्षमताओं को बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान करके, उन्हें अंडर ग्रेजुएट तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विख्यात संस्थानों में दाखिला दिलाकर उनके ये पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ऐसे सस्थानों में उपचारी कोचिंग दिलावाकर, उनकी सहायता करना है।

4.3 यह चल रही एक योजना है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अंतरित हुई है। वर्ष 2006–07 के लिए 1.60 करोड़ रूपए का एक बजटीय प्रावधान है। वित्त वर्ष के अंत तक इन निधियों के उपयोग किए जाने की संभावना है।

अध्याय 5

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मैरिट–एवं–साधन आधारित छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

5.1 वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2006–07 में यह घोषणा की थी कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 20,000 मैरिट–एवं–साधन आधारित छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष प्रदान की जायेंगी ताकि वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। तदानुसार एक समुचित योजना तैयार की गई है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, छात्रों को स्नात्तक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिए अवसरों को बढ़ाना है, जो 15–सूत्री कार्यक्रम में भी मुख्यतया केन्द्रित है, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों से व्यवसायिकों तथा तकनीकी–तंत्रियों की संख्या को बढ़ा कर नौकरी के क्षेत्र में नियोजनीयता को बढ़ाया जाए। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया जाएगा। अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से वर्ष 2006–07 के लिए मंत्रालय के बजट अनुमानों में 10 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। व्यय वित्त समिति द्वारा इस योजना की सिफारिश की गई है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

अध्याय 6

सांविधानिक / वैधानिक / स्वायत्त निकाय / निगम / आयोग

6.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ निम्नलिखित सांविधिक, वैधानिक, स्वायत्त निकाय / निगम / आयोग सम्बद्ध हैः–

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली,
- केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली,
- भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, इलाहाबाद,
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली,
- मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली,
- राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली

अध्याय 7

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

प्रस्तावना

7.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा करने के लिए एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से एक ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (एनसीएम अधिनियम, 1992) के अधिनियमन से यह अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' के रूप में पुननामित किया गया। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

7.2 पहले सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य होगा।

7.3 भारत सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना के अनुसार और इस अधिनियम 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात मुसलमानों, ईसाईओं, सिखों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है।

आयोग के कार्य

7.4 आयोग के मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मानीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करता है।

वर्तमान संघठन

7.5 दिनांक 03 मार्च 2006 को गठित किए गए वर्तमान आयोग में निम्नलिखित सदस्य है:–

1.	श्री मोहम्मद हामि़द अंसारी	:	अध्यक्ष
2.	श्री माइकल पी. पिंटो	:	उपाध्यक्ष
3.	वेन. लामा कोसफेल ज़ोत्पा	:	सदस्य
4.	श्री हरचरण सिंह जोश	:	सदस्य
5.	डॉ. दिलीप पाडागोंकर	:	सदस्य
6.	प्रो. जोया हसन	:	सदस्य
7.	रिक्त*	:	सदस्य

*(स्व. लेफट. जन. (सेवानिवृत्त,) ए.एम. सेठना, 03 मार्च 2006 से 17 अक्टूबर 2006)

7.6 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः संघ के केन्द्रीय मंत्री तथा राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।

भर्ती नियम

7.7 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में समूह 'ग' और 'घ' के संबंध में भर्ती नियम 26 अप्रैल 2006 को अधिसूचित कर दिए गए है। समूह 'क' और 'ख' के संबंध में भर्ती नियमों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग तथा विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

7.8 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई ज्ञापन, और इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों सहित, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। 1992 के एन.सी.एम. अधिनियम की धारा 9 (3) के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें भेजा जाता है।

7.9 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 1992–93 से 2005–06 के लिए तेरह वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की है। अल्पसंख्यक आयोग की पहली तीन वार्षिक रिपोर्टें, की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित, इस मंत्रालय के सृजन से पहले संसद के दोनों सदनों में पेश की गई थी। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में पहले ही पाँच वार्षिक रिपोर्टो को पेश कर दिया है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:–

क्रम सं.	वर्ष	इनमें वार्षिक रिपोर्ट पेश करने की तारीख	
		राज्य सभा	लोक सभा
1.	1996–1997	15.05.2006	11.05.2006
2.	1997–1998	18.12.2006	14.12.2006
3.	1999–2000	18.12.2006	14.12.2006
4.	2002–2003	18.12.2006	14.12.2006
5.	2003–2004	18.12.2006	14.12.2006

राज्य अल्पसंख्यक आयोग

7.10 आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया है। मणिपुर और उत्तराखडं की राज्य सरकारों ने असांविधिक आयोगों का गठन किया है। इस मंत्रालय ने शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे आयोगों का गठन करने का अनुरोध भी किया है।

7.11 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने नई दिल्ली में 02 नवम्बर 2006 को राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का पाँचवां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन का उदघाटन प्रधानमंत्री ने किया था। इस सम्मेलन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, गृहमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री भी उपस्थित थें। प्रधानमंत्री ने अपने उदघाटन भाषण में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के विधेयक को यथाशीघ्र अधिनियमित किया जाएगा।

संविधान एक सौ तीनवां (संशोधन) विधेयक, 2004

7.12 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान एक सौ तीनवां (संशोधन) विधेयक, 2004, लोक सभा में दिसम्बर 2004 को पेश किया

गया था। उपर्युक्त विधेयक को जांच और उस पर रिपोर्ट देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता की स्थायी समिति को भेजा गया था। इस स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत की। स्थायी समिति की सिफारिशों की संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की गई है और शासकीय संशोधन शीघ्र ही किए जाने की संभावना है।

अध्याय 8

वक्फ प्रशासन और केंद्रीय वक्फ परिषद्

8.1 वक्फ, इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम कानून में पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने गए किसी प्रयोजन के लिए किसी चल या अचल संपति का स्थायी रूप से किया गया समपर्ण है ।

8.2 यह मंत्रालय वक्फ अधिनियम 1995 की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है जिसे 1 जनवरी 1996 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत पर लागू किया गया है । बाईस राज्य अर्थात् आन्ध्रप्रदेश, असम,बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड ,कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखडं और पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र अर्थात अंडमान और निकोबार, चंड़ीगढ, दादरा और नागर हवेली ,दिल्ली, लक्षद्वीप और पांड़िचेरी ने इस अधिनियम के अधीन वक्फ बोर्ड़ो का गठन कर लिया है ।

पुथनपल्ली, जरम मदरसा एंव अस्पताल, परीमलाना, मलापुरम (केरल) की विकास परियोजना। (केन्द्रीय वक्फ परिषद् से प्राप्त ऋण सहायता से निर्मित)

मुस्लिम अरेबिक जूनियर हाई स्कूल, उझेरी, जे.पी. नगर (उ.प्र.) का व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र। (केन्द्रीय वक्फ परिषद् द्वारा वित्तपोषित)

केंद्रीय वक्फ परिषद्

8.3 केंद्रीय वक्फ परिषद् एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8 क (अब इसे वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उप धारा (1) पढ़ा जाए) के अधीन दिसम्बर 1964 में हुई थी । परिषद् में पदेन अध्यक्ष के तौर पर वक्फों का प्रभारी केंद्रीय मंत्री और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें भारत सरकार नियुक्त करती है । इनकी संख्या बीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद् का मुख्य कार्यपालक होता है । केंद्रीय वक्फ परिषद् का मुख्य प्रकार्य भारत सरकार को देश में वक्फ बोर्ड़ के कार्यचालन और वक्फों के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर परामर्श देना है । समुदाय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुददो के अलावा विशेषकर वे मुद्दे जो धार्मिक मामलों यथा मस्जिदों, दरगाहों, प्रशासन और संपत्तियों के उचित प्रबंधन से संबंधित हैं, परिषद् और उसकी समितियां उन पर विचार करती हैं।

8.4 आमतौर पर केंद्रीय वक्फ परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होती है । हालांकि परिषद् की विभिन्न समितियां जितनी बार संभव हो पाता है बैठक करती हैं ताकि कार्यक्रमों के मॉनीटरन, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों, शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए बनाई गई स्कीमों व शैक्षिक स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्रवाई की जा सके । समितियां उन्हें सौंपे गए कार्यो को समय समय पर परिषद् के माध्यम से पूरा करती हैं ।

8.5 वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 10(1) के अनुसार परिषद् विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड़ों द्वारा वक्फों की निवल आय के 1% (एक प्रतिशत) की दर से इसे प्रदान किए गए अंशंदान से अपनी आय प्राप्त करती है । परिषद् के सभी प्रशासनिक और अन्य खर्चो की पूर्ति इसी आय में से की जाती है ।

केंद्रीय वक्फ परिषद् द्वारा चलाई जाने वाली स्कीमें

8.6 केंद्र सरकार को वक्फ से संबंधित मामलों पर परामर्श देने के अलावा केंद्रीय वक्फ परि-ाद् को शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास संबंधी स्कीमों और समुदाय के शैक्षिक विकास संबंधी कार्यक्रमों को चलाने का कार्य भी सौंपा गया है । इस का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है

(i) **शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास संबंधी स्कीम**

खाली पड़ी वक्फ जमीन को अधिक्रमणों से बचाने तथा कल्याण संबंघी अधिकाधिक कार्यकलापों के लिए अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए इसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विकास करने की दृष्टि से परिषद् इस स्कीम को 1974 75 से चला रही है और केंद्र सरकार इसके लिए वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान करती है । इस स्कीम के अंतर्गत देश के विभिन्न वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य परियोजनाएं यथा वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, अस्पताल, शीतागार आदि शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं । इसके लिए केंद्र सरकार ने इस स्कीम के प्रारंभ से लेकर अब तक 28.2036 करोड़ रूपए की सहायता अनुदान राशि जारी की है । परिषद् ने 115 परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किए हैं । इनमें से 75 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और आय प्रदान कर रही हैं । 16 परियोजनाओं के लिए दिया गया ऋण, निर्णण कार्य के बिना वापस कर दिया गया है तथा पांच परियोजनाओं का कार्य (तीन बिहार में, एक कर्नाटक व एक उड़ीसा में) विभिन्न कारणों के चलते रूका हुआ है तथा 19 परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है । वर्तमान वितवर्ष के लिए किए गए 2.06 करोड़ रूपए बजटीय आबटंन में से 0.73 करोड़ रूपये की राशि परिषद् को जारी कर दी गई है । शेष राशि वर्ष के दौरान दे दिए जाने की संभावना है ।

(ii) **वक्फ संपंतियों के विकास के लिए परिक्रमी निधि से ऋण**

ऋण लेने वाले संस्थानों द्वारा परिषद् को वापस चुकायी गई ऋण राशि से परिषद् की परिक्रमी निधि निर्मित होती है जिसे दुबारा से लगभग 20 लाख रूपए तक के ऋण प्रदान करके वक्फ भूमि पर गौण विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रयोग में लाया जाता हैं। परिषद् ने 86 परियोजनाओं के लिए 4.49 करोड़ रूपए की राशि जारी की है जिनमें से 66 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 20 परियोजनाओं का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है ।

8.7 केंद्रीय वक्फ परिषद् को प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान, वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए निम्नलिखित दो शर्तो के साथ ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ऋण लेने वाले वक्फों को प्रदान किया जाता है

(i) वे बकाया ऋण पर शैक्षिक निधि के लिए 6% संदान करेंगे, और
(ii) ऋण की अदायगी के बाद वे अपनी बढ़ी हुई आय में से 40% मुस्लिम वर्ग के लोगों की शिक्षा के लिए खर्च करेंगे विशेषकर तकनीकी शिक्षा के लिए ।

शैक्षिक कार्यक्रम

8.8 कर्जदार वक्फों से शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास की स्कीम के अंर्तगत बकाया ऋण पर प्राप्त 6% संदान और परिक्रामी निधि की बैंक बचतों पर प्रोद्भूत ब्याज को मिलाकर परिषद् की शैक्षिक निधि निर्मित होती है। इस निधि का प्रयोग निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।

(क) तकनीकी / वृत्तिक ड़िग्री पाठ्यक्रमों में दाखिला चाहने वाले गरीब विद्यार्थियों को वर्तमान वित वर्ष में प्रति वर्ष 8000/ रूपये की दर से छात्रवृत्ति (जो पहले प्रति वर्ष 6000 रूपए थी) देने के लिए।

(ख) सामान्य डिग्री पाठयक्रमों के गरीब व जरूरतमंद विद्यार्थियों को वर्तमान वित वर्ष से प्रति वर्ष 3,500 / रूपए (जो पहले 3000 रूपए था) की दर से तदर्थ अनुदान देने के लिए।

(ग) राज्य वक्फ बोर्ड़ो द्वारा अपने अपने राज्यों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को, मदरसों के विद्यार्थियों को तथा तकनीकी / वृत्तिक ड़िप्लोमा पाठयक्रमों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समान अनुदान की पूर्ति के लिए।

(घ) मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए अनुदान देने के लिए

(ड.) स्वैच्छिक संगठनों को व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता, और

(च) पुस्तकालयों को अपना पुस्तक भंड़ार बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता

8.9 परिषद् ने तकनीकी ड़िग्री पाठ्यक्रमों यथा एम बी बी एस, बी यू एम एम , बीए एम एस, बी.टेक तथा बी.एससी (कृर्षि) आदि के विद्यार्थियों के लिए 31 मार्च 2006 तक 10,802 छात्रवृत्तियों के लिए मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार गरीब व जरूरतमंद विद्यार्थियों को तदर्थ अनुदान स्कीम के अंतर्गत 3766 मामलों में तदर्थ अनुदान प्रदान किया गया है । 601 स्वैच्छिक संगठनों /तकनीकी संस्थानों को तकनीकी प्रशिक्षण /व्यावसायिक प्राक्षिण के लिए सहायता प्रदान की गई है ।

8.10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों केगठन के लिए बनाई गई स्कीम में केंद्रीय वक्फ परिषद् ने मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

8.11 चालू वित्त वर्ष 2006 2007 के दौरान दिसम्बर 2006 तक परिषद् द्वारा संस्वीकृत /संवितरित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

		संस्वीकृत राशि (लाख रूपए में)
(i)	वृत्तिक /तकनीकी ड़िग्री पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 570 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	45.60
(ii)	तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो को अनुदान	16.67
(iii)	दो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता	07.50
(iv)	एक पुस्तकालय को वित्तीय सहायता	00.20

वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति

8.12 वक्फ के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जे पी सी) का गठन 2 जनवरी 2006 को किया गया था । पुरानी समिति को 13 वीं लोकसभा को भंग किए जाने के बाद विघटित कर दिया गया था । समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं -

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वक्फ अधिनियम,1995 के कार्यान्वयन की प्रास्थिति को सुनिश्चित करना,

(ख) वक्फ अधिनियम 1995 में अनिवार्य लगने वाले सशोंधनों को करने के लिए सुझाव देना ताकि इसके उदृेश्यों को पूरा किया जा सके तथा वक्फ की उस जमीन को छुड़ाया जा सके जिस पर अधिक्रमण कर लिया गया है,

(ग) केंद्रीय वक्फ परिषद् के कार्यचालन की जांच करना और इसके कारगर कार्यचालन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना, और

(घ) राज्य वक्फ बोर्ड़ो के कार्य चालन की निगरानी और उनके उचित व सुचारू कार्यचालन के लिए उपयुक्त सुझाव देना ।

8.13 समिति, वक्फ मामलों के संबंध में राज्य के प्रतिनिधियों की बात सुनती है और विभिन्न राज्यों का दौरा भी करती है । वर्तमान समिति अब तक रिपोर्ट में निर्दिष्ट वर्ष के दौरान राजस्थान, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुकी है ।

अध्याय 9

ख्वाजा दरगाह साहिब अधिनियम, 1955 का प्रशासन

9.1 राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्वप्रसिद्व वक्फ है। दरगाह का प्रशासन दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 के नाम के केंद्रीय अधिनियम के अधीन चलाया जा रहा है । दरगाह विन्यास का प्रशासन नियंत्रण और प्रबंध दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम 1955 के उपबंधों के अनुसार गठित दरगाह समिति में निहित है । समिति के सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 5 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा की जाती है । समिति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या पांच और अधिकतम संख्या नौ हैं जिनमें से सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त हनाफी मुस्लिम हैं । केंद्र सरकार, समिति से परामर्श करके अधिनियम की धारा 9 के अनुसार दरगाह के नाजिम की नियुक्ति करती है । नाजिम,समिति का पदेन सचिव होता है ।

9.2 दरगाह समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2006-2007 के दौरान दरगाह अतिथिगृह, किराए पर दी गई संपत्तियों और संदानों से लगभग 1.57 करोड़ रूपए की राशि (20 दिसम्बर 2006 तक) प्राप्त की गई है । दरगाह समिति ने वर्ष के दौरान कल्याणकारी गतिविधियों, दरगाह शरीफ की देख रेख और अनुरक्षण पर किए जाने वाले व्यय के लिए 2.13 करोड़ रूपए के बजट को मंजूरी दी है ।

9.3 दरगाह समिति द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में गरीब तीर्थयात्रियों को खाना देना,विधवाओं को वृत्तिका देना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, मुफ्त चिकित्सा सहायता देना,लावारिस लाशों को दफन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय चलाना, कम्प्यूटर केंद्र चलाना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाएं चलाना शामिल है।

9.4 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 794 वां उर्स बड़े ही उपयुक्त ढ़ंग से मनाया गया जिसमें विभिन्न मतों, जातियों व पन्थों को मानने वाले लगभग 9 लाख श्रद्धालुओं ने भारत की इस महान आत्मा को अपने श्रद्वासुमन अर्पित किए । रिपोर्ट में निर्दिष्ट इस अवधि के दौरान विभिन्न संभ्रांत जन,दरगाह का दौरा करने आए ।

अध्याय 10

भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त

10.1 भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अनुसरण में जुलाई, 1957 में गठित किया गया था जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बनाए गए सांविधिक(सातवां संोधन) अधिनियम,1956 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया । अनुच्छेद 350 ख के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का यह कर्तव्य है कि वह संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित सुरक्षापायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करे और इन मामलों की रिपोर्ट उतने अंतराल पर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे जैसा राष्ट्रपति निर्देश दें तथा राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टो को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने और उन्हें संबंधित राज्यों की सरकारों के पास भेजने का निमित बनेंगे ।

10.2 भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त कार्यालय का अपना मुख्यालय इलाहाबाद में है जिसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेलगांव और चैन्नई में हैं । सी एल एम भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित सुरक्षणों के संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में आई शिकायतों संबंधी उन मामलों को निपटाता है जो उसकी जानकारी में आते हैं अथवा भाषाई अल्पसंख्यको, राज्य सरकारों और संघ राज्य प्राशासनों के अत्याधिक राजनैतिक और प्रशासनिक स्तरों के समूहों, एसोसिएशनों द्वारा उनकी जानकारी में लाए जाते हैं तथा उन मामलों के संबंध में उपचारी कार्रवाई की सिफारिश करता है ।

10.3 राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई भाषाई अल्पसंख्यकों के आयोग की वर्ष जुलाई 2004 से जून 2005 तक की अविध की 43 वीं रिपोर्ट, क्रमशः 23 नवम्बर और 27 नवम्बर, 2006 को लोक सभा ओर राज्य सभा में पेश की गई है ।

अध्याय 11

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम

11.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना,अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गो में आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, 30 सितम्बर, 1994 को की गई थी। यह निगम दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे की पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पात्र लाभग्राहियों को स्वरोजगार कियाकलापों के लिए रियायती वित्त प्रदान करने के द्वारा अपने उदेृश्य की पूर्ति करता है।

11.2 एन एम ड़ी एफ सी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 650 करोड़ रूपये हैं जिसमें से भारत सरकार का शेयर 422.50 करोड़ रूपये (65%) है तथा राज्य सरकार का शेयर 169 करोड़ रूपये (26%) है जबकि बाकी 68.50 करोड़ (9%) का अंदान अल्पसंख्यकों में दिलचस्पी रखने वाली संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा किया जाता है । भारत सरकार ने एन एम ड़ी एफ सी की इक्विटी के लिए अब तक 357.07 करोड़ रूपए दिये है जबकि 94.05 करोड़ रूपए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिये गये है ।

11.3 एनएमडीएफसी के पास परम लाभग्राहियों तक पहुँच के लिए दो चैनल हैं अर्थात (1)संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से और (2)गैर सरकारी संगठन के माध्यम से। एससीए विन्डों के तहत प्रत्येक लाभग्राही के लिए पाँच लाख रूपए तक लागत की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है । इसके लिए निधि 3 प्रतिशत ब्याज दर पर एससीए से उपलब्ध कराई जाती है, जिसे लाभार्थियों को लोन देने के लिए 6 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराया जाता है । निगम, मजदूरी रोजगार के साथ-साथ लक्ष्य समूहों की क्षमता निर्माण के लिए एससीए के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक ऋण की स्कीम को भी कार्यान्वित कर रहा है ।

11.4 एनजीओ कार्यक्रम के अंतर्गत 25 हजार रूपए तक की माइक्रो क्रेडिट एनजी,ओ,के माध्यम से अल्पसंख्यक स्व सहायता समूहों के सदस्यों को दिया जा सकता है । इस उद्देश्य के लिए एनजीओं को एक प्रतिशत की दर से फंड उपलब्ध कराया जाता है, जिसे वे 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आगे देते है । लैंडिग कार्यकलापों के अलावा,एनएमडीएफसी,कौशल उन्नयन और विपणन सहायता हेतु प्रशिक्षण में लक्ष्य समूहों को सहायता प्रदान करती है । एनजीओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वसहायता समूहों की उन्नति और स्थायित्व के लिए बिना ब्याज के ऋण (अनुदान के रूप में समायोजित)का भी प्रावधान है।

11.5 एनएमडीएफसी ने हाल ही में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से एक शैक्षिक ऋण स्कीम प्रारम्भ की है । इस स्कीम के तहत एनएमडीएफसी, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए अल्पसंख्यकों के योग्य उम्मीदवारों को 3 प्रतिशत के रियायती ब्याज दर पर 2,50,000 रूपए तक उपलब्ध करा सकता है ।

उपलब्धियां

11.6 एससीए कार्यक्रम के तहत एनएमडीएफसी ने दिसम्बर, 2006 तक 25 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्र में फैले 2,15,836 लाभार्थियों को 827.00 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दे चुका

है। चालू वित्त वर्ष में, 31 दिसमबर, 2006 तक 13,690 लाभार्थियों को 56.05 करोड़ संवितरित किए जा चुके है ।

11.7 एनएमडीएफसी द्वारा यह एनजीओं कार्यक्रम 1998-99 से कार्यान्वित किया जा रहा है। 31 दिसम्बर 2006 तक 88,533 लाभार्थियों को माइक्रों फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत कुल 34.98 करोड़ रूपए संवितरित किए जा चुके है । चालू वित्त वर्ष 2006-07 में अर्थात 31 दिसम्बर, 2006 तक 3064 लाभार्थियों के लिए 262.27 लाख की माइक्रो क्रेडिट संवितरित की जा चुकी है।

समीक्षा और पुनर्संरचना

11.8 लक्ष्य समूह के सम्रग आकार की तुलना में एनएमडीएफसी के अब तक के कार्य निष्पादन से एनएमडीएफसी को मजबूत बनाना आवश्यक हो गया है जिससे इसे मध्यस्थता का प्रभावी साधन बनाया जा सके । जबकि सरकार अधिक आर्थिक सहायता देने को प्रतिबद्ध है, राज्य की चैनेलाइजिंग एजेंसियों की कमजोर अवसंरचना इसके कुशलता पूर्वक कार्य करने में प्रमुख बाधा रही है । माइक्रो फाइनेंसिंग के क्षेत्र में कम ब्याज लाभ के कारण अनेक गैर सरकारी संस्थाएं आगे नहीं आ रही है । इस लिए सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्यो की समीक्षा करने के लिए और निगम के प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन में सुधार के लिए व्यावसायिक बैंकरों और वित्त विशेषज्ञों से युक्त, कार्य योजना का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है । इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र आने की सम्भावना है ।

अध्याय 12

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

12.1 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वैच्छिक, गैर राजनैतिक, गैर लाभकारी संस्था के रूप में वर्ष 1989 में, की गई थी।

12.2 एम ए ई एफ के मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ तथा सामान्य रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक स्कीमों और योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करना, बालिकाओं को विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से, उनके लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना करना तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए अन्य प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

जनरल बॉडी और गवर्निंग बॉडी

12.3 प्रतिष्ठान की जनरल बॉडी में पन्द्रह सदस्य होते हैं, जिनमें छः पदेन सदस्य और नौ नामित सदस्य होते है। नामित सदस्यों को प्रतिष्ठान के अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मामलों के केन्द्रीय मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष है। प्रतिष्ठान के नियमों और विनियमों के अनुसार, जनरल बॉडी की बैठकें कलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार होती है। प्रतिष्ठान का प्रबंधन वर्ग, गवर्निंग बॉडी में निहित और उसके अधीन होता है। प्रतिष्ठान के नियमों और विनियमों के अनुसार, गवर्निंग बॉडी की बैठक दो माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी होती है।

स्कीमें

12.4 प्रतिष्ठान में, इसके प्रारम्भ होने से ही, हॉस्टलों के निर्माण और तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की जाती रही है, जिसमें छात्राओं पर अधिक जोर दिया जाता है। इस प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न स्कीमें निम्न हैः–

(i) स्कूलों/आवासीय स्कूलों/कालिजों की स्थापना/विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता।

(ii) प्रयोगशाला के उपकरण और फर्नीचर आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

(iiI) व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थानों की स्थापना/सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

(iv) हॉस्टलों के भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(v) होनहार छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

(vi) मौलाना आजाद सदभावना केन्द्र। (ये अब बंद हो गया है)

(vii) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साक्षरता पुरस्कार।

समग्र निधि

12.5 प्रतिष्ठान में इसकी समग्र निधि पर प्राप्त ब्याज से स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जो कि आय का एक मात्र जरिया है। समग्र निधि प्रतिष्ठान को योजना सहायता के भाग के रूप में प्रदान की गई है। समग्र निधि, जो आठवीं योजना के दौरान 30.01 करोड़ रू0 थी, वर्ष 1997–98 में बढ़कर 40 करोड़ रू0, वर्ष 2005–06 में 29.99 करोड़ रू0 और 2006–07 में 100 करोड़ रू0 हो गई। इस समय एम ए ई एफ की समग्र निधि 200 करोड़ रूपयें है।

उपलब्धियां

12.6 इसके आरम्भ होने से 31 दिसम्बर, 2006 की अवधि तक, एम ए ई एफ ने स्कूलों/कालिजों/बालिका हॉस्टलों/पोलिटेक्निक/आईटीआई के निर्माण/विस्तार के लिए और उपकरण/मशीनरी/फर्नीचर की खरीद के लिए देश भर में 702 गैर सरकारी संस्थाओं को 91. 81 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं तथा 6986 छात्राओं को 6.98 करोड़ रूपये की छात्रवृत्तियां दी है। राज्यवार सहायता ग्रांट और छात्रवृत्तियों का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः **संलग्नक VI और VII** में दिया गया है। कोरपस फंड में वृद्धि होने से, प्रतिष्ठान की वार्षिक आय लगभग 16 करोड़ रूपये होगी। इसलिए यह प्रतिष्ठान अपनी गतिविधियों और दायरे को पर्याप्त व्यापक करेगा।

12.7 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के कार्यो में जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(i) स्टाफॅ संरचना को मजबूत किया जा रहा है। पहली बार, प्रशासनिक ग्रेड स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रतिष्ठान के सचिव के रूप में तैनात किया गया है;

(ii) संगठन अनुसंधान समूह, जो कि एक स्वतंत्र एजेंसी है, को मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए और इसके कार्यो में सुधार के लिए अपेक्षित आगे की कार्रवाई का सुझाव देने के लिए मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने का कार्यभार सौंपा गया है। अध्ययन की रिपोर्ट शीघ्र आने की आशा है;

(iii) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के कार्यो में पारदर्शिता और कार्य कौशल को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसके मौजूदा मार्ग निर्देशनों की जांच करने और जहाँ कहीं आवश्यक समझे जाने पर, इसमें परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए अपने स्तर पर अध्ययन करने का प्रस्ताव है। विभिन्न स्कीमों के लिए उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, आवेदनों के प्रस्तुतीकरण, मामलों की प्रक्रिया और मंजूरियों के लिए उपयुक्त अनुसूची/समय सारणी तैयार की जाएगी तथा ऐसा एक कलेंडर प्रकाशित कराया जाएगा। स्कीमों, आवेदनों की स्थिति और लाभग्राहियों को वितरित राशि आदि संबंधी पर्याप्त सूचना वेबसाइट पर डाली जाएगी ; और

(iv) प्रतिष्ठान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपलब्ध सीमित संसाधनों का नियतन और प्रयोग अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या बहुल पिछड़े क्षेत्रों में किया जाता है।

अध्याय 13

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

13.1 धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय में सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण संबंधी उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा 29 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र है। आयोग के अन्य सदस्य निम्न है :–

1. प्रो० ताहिर महमूद
2. डा० अनिल विल्सन
3. डा० मोहिन्दर सिंह

श्रीमती आशा दास इस आयोग में 10 मई, 2005 को सदस्य सचिव के रूप में शामिल हुई हैं।

13.2 आयोग के विस्तृत विचारार्थ विषय निम्न हैः–

(क) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मानदंड का सुझाव देना;

(ख) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक वर्गो में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्रवाइयों की सिफारिश करना, जिसमें शिक्षा और सरकारी रोजगार में आरक्षण भी शामिल है;

(ग) उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए यथाअपेक्षित आवश्यक संस्थागत, कानूनी और प्रशासनिक रीतियों का सुझाव देना और उनके विचार–विमर्शों एंव सिफारिशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

(घ) आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा और आरक्षित जातियों की सूची में शामिल करने की रीति के संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय व कुछ उच्च न्यायालयों में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 के विषय में दायर रिट याचिका सं. 180/04 व 94/05 में उठाए गए मुद्दों के बारे में सिफारिशें करना।

13.3 आयोग की रिपोर्ट 31 मार्च, 2007 तक आने की संभावना है।

अध्याय 14

उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन

14.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास कर रहे अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम विशेष ध्यान देता है। एन एम डी एफ सी की स्कीमें उत्तर पूर्वी राज्यों में चल रही हैं, किन्तु ये स्कीमें अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम राज्यों में लागू नहीं है। राज्य की चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सावधिक ऋण स्कीम के तहत् 31 दिसम्बर, 2006 तक सम्पूर्ण देश में अल्पसंख्यकों को दिए गए 827.00 करोड़ रूपये के ऋण में उत्तर पूर्वी राज्यों का हिस्सा 69.21 करोड़ रूपये (8.36 प्रतिशत) रहा है। चालू वर्ष में, 19.75 करोड़ रूपये (11 प्रतिशत) का नियतन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2006 तक 4.00 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई है।

अध्याय 15

महिला–पुरूष संबंधी मुद्दे

15.1 इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देता है। यह निगम, माइक्रो–फाइनेंसिग स्कीम चला रहा है। जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित गरीब महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एन.एम.डी.एफ.सी. को माइक्रो–फाइनेंसिंग स्कीम के मुख्य उद्देश्य एन जी ओ/एस एच जी के माध्यम से महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के तरीके से उनका सशक्तीकरण करना है। एन.एम.डी.एफ.सी. ने अब तक माइक्रो उधार के अंतर्गत 34.98 करोड़ रूपये से लगभग 88.533 लाभग्राहियों की मद्द की है। लगभग 85 प्रतिशत लाभभोगी महिलाएं हैं।

महिला समृद्धि योजना

15.2 एन.एम.डी.एफ.सी. ने महिला समृद्धि योजना की स्कीम भी प्रारम्भ की हैं। इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं को आयपरक गतिविधियाँ चालू करने के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 25000 रू० तक का अपेक्षित माइक्रो–ऋण देने के बाद, छः माह की अवधि का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है।

15.3 एक वर्ष के दौरान, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित होनहार छात्राओं के लिए, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक 10,000/– रूपये की 3000 छात्रवृत्तियाँ मंजूर की गई हैं। इस संबंध में आवेदन प्राप्त हो गए है और वे प्रक्रियाधीन है।

संलग्नक I

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में मंजूर किए गए पदों की संख्या आदि को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	पद का नाम	मंजूर पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
01.	सचिव	01	01	शून्य
02.	संयुक्त सचिव	03	03	शून्य
03.	निदेशक/उप सचिव	05	04	01
04.	अवर सचिव	04	04	शून्य
05.	सहायक निदेशक	02	02	शून्य
06.	अनुभाग अधिकारी	05	04	01
07.	प्रधान निजी सचिव	01	01	शून्य
08.	सहायक	11	11	शून्य
09.	वरिष्ठ अन्वेशक	04	02	02
10.	लेखाकार	01	00	01
11.	आशुलिपिक ग्रेड 'ग'	07	07	शून्य
12.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01	01	शून्य
13.	आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	05	01	04
14.	प्रवर श्रेणी लिपिक/ अवर श्रेणी लिपिक	08	01	07
15.	स्टाफ कार ड्राइवर	02	01	01
16.	चपरासी	11	08	03
	कुल	**71**	**51**	**20**

संलग्नक II

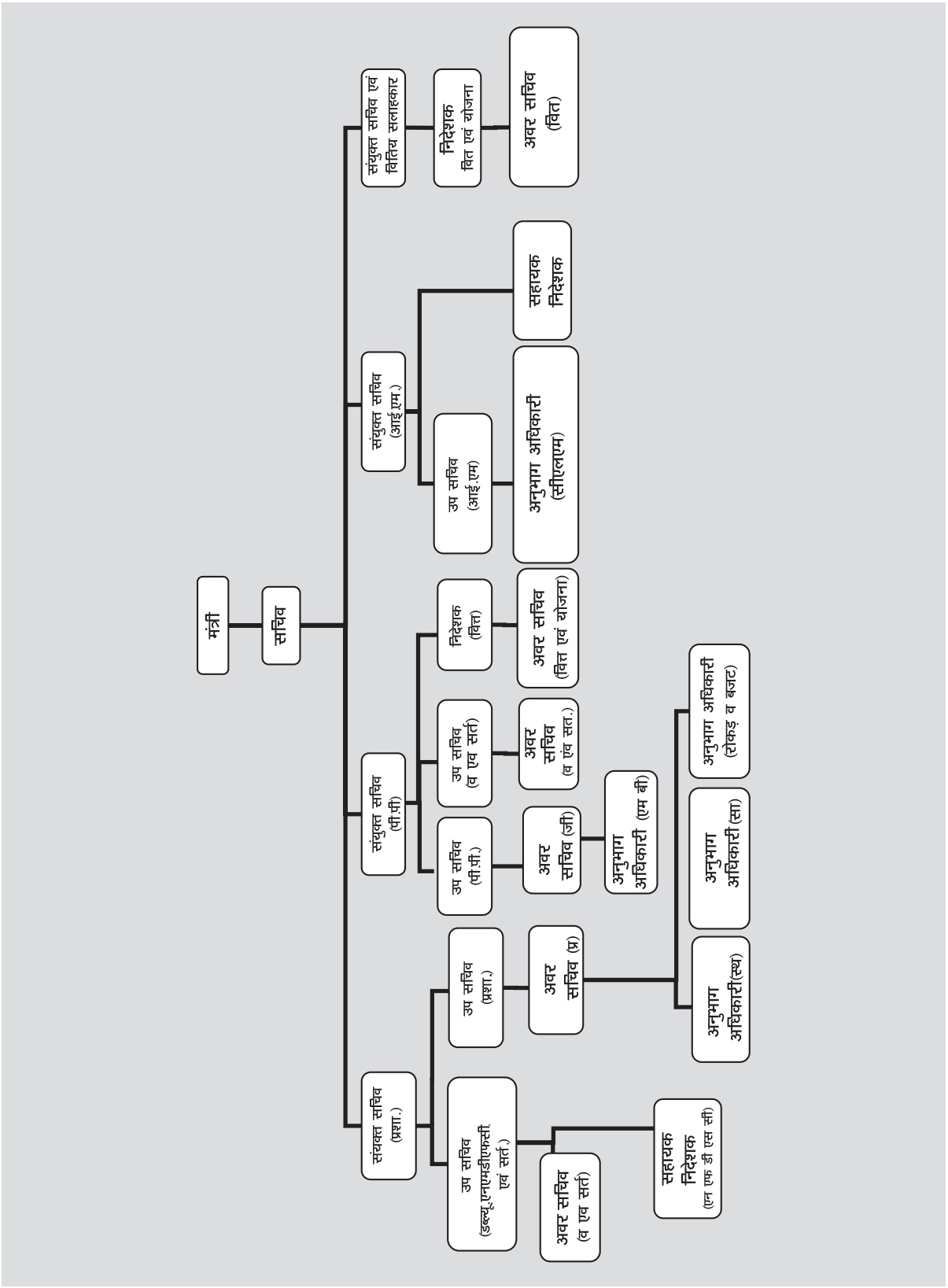

मंत्री
सचिव
संयुक्त सचिव एवं वितिय सलाहकार
निदेशक वित एवं योजना
अवर सचिव (वित)
संयुक्त सचिव (आई.एम.)
उप सचिव (आई.एम)
अनुभाग अधिकारी (सीएलएम)
सहायक निदेशक
संयुक्त सचिव (पी.पी.)
निदेशक (वित)
अवर सचिव (वित एवं योजना)
उप सचिव (व एव सर्त)
अवर सचिव (व एव सत.)
उप सचिव (पी.पी.)
अवर सचिव (जी)
अनुभाग अधिकारी (एम बी)
अनुभाग अधिकारी (रोकड़ व बजट)
अनुभाग अधिकारी(सा)
संयक्त सचिव (प्रशा.)
उप सचिव (प्रशा.)
अवर सचिव (प्र)
अनुभाग अधिकारी(स्थ)
उप सचिव (डब्ल्यू.एनएमडीएफसी एवं सर्त.)
अवर सचिव (व एव सर्त)
सहायक निदेशक (एन एफ डी एस सी)

संलग्नक III

वर्ष 2006–2007 के लिए प्रोगाम/स्कीमवार आबंटन को निर्दिष्ट करते हुए विवरण

		योजना	गैर योजना	कुल
105	**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**			
1.	(i) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाने और उसके रखरखाव के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान के लिए (रू० 0.96 करोड़) और (ii) कोचिंग एवं अनुषंगी स्कीम के लिए (रू० 0.02 करोड़)	0.98	—	0.98
2.	वक्फ परिषदों को सहायता अनुदान देने के लिए	—	2.06	2.06
3.	(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	—	3.67	3.67
	(ii) भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी और	—	1.04	1.04
	(iii) राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना से जुड़े खर्चो की प्रतिपूर्ति के लिए	—	1.99	1.99
4.	कोचिंग एवं अनुषंगी स्कीम के तहतराज्य सरकारों को (रू० 0.60 करोड़) और संघ राज्यों की सरकारों को (रू० 0.02 करोड़) सहायता अनुदान के लिए	0.62	—	0.62

5.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को (रू० 16.47 करोड़) साम्या अंशदान के लिए और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में गतिविधियां चलाने के लिए (रू० 1.82 करोड़)	18.29	—	18.29
6.	(i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को (रू० 100.00 करोड़) पुस्तक निधि के लिए एवं (पप) मेदी अभियान (रू० 1.00 करोड़) के लिए	101.00	—	101.00
7.	मंत्रालय के सचिवालय के स्थापना से सम्बद्ध खर्चो को पूरा करने के लिए	—	3.87	3.87
8.	मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्तियों के लिए राज्य सरकारों को (रू० 9.00 करोड़) और संघ राज्यों की सरकारों को (रू० 1.00 करोड़) सहायता अनुदान जारी करने के लिए	10.00	—	10.00
		130.89	12.63	143.52

संलग्नक IV

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रम

(क) शिक्षा के लिए अवसरों को बढ़ाना

(1) आई.सी.डी.एस. सेवाओं की साम्यापूर्ण उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम (आई.सी.डी.एस.) का उद्देश्य वंचित वर्गों के बच्चों और गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिए पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, प्री स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करके सम्पूर्ण विकास करता है। कुछ प्रतिशत आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं और आंगनवाड़ी केन्द्र अल्पसंख्यक समुदाय बहुल जनसंख्या वाले ब्लॉकों/ग्रामों में स्थापित किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि इस स्कीम के लाभ साम्यापूर्ण तरीके से ऐसे समुदायों को भी उपलब्ध हैं।

(2) स्कूली शिक्षा लेने में सुधार करना

सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम और अन्य ऐसी ही सरकारी स्कीमों के अंतर्गत, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित प्रतिशत तक ऐसे स्कूल अल्पसंख्यक समुदायों की पर्याप्त जनसंख्या वाले ग्रामों/स्थानों में स्थित हैं।

(3) उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए अधिक संसाधन

उन प्राथमिक/प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में जिनमें पढ़ने वाले कुछ छात्र–छात्राओं की जनसंख्या में से कम से कम एक चौथाई छात्र–छात्राएं उस भाषा समूह के हों, तो वहाँ उर्दू भाषा के शिक्षकों की भर्ती एवं तैनाती के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

सघन क्षेत्र की केन्द्रीय योजना स्कीम और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शैक्षिक

रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के केन्द्रीकरण के क्षेत्रों में मूल बुनियादी शैक्षिक अवसंरचना और मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए संसाधन प्रदान करते हैं। इस आवश्यकता का समाधान करने के महत्व को ध्यान में रखकर, इस कार्यक्रम को पर्याप्त रूप में सशक्त किया जाएगा और प्रभावी रूप को कार्यान्वित किया जाएगा।

(5) अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक (मैट्रिक के पहले और पोस्ट मैट्रिक (मैट्रिक के बाद) छात्रवृत्तियों की स्कीमें बनाई जाएंगी और उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा ।

(6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षित अवसंरचना को सुधारना

सरकार मौलना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एम ए ई एफ) को हर संभव सहायता देगी ताकि इसे अपनी गतिविधियों को अधिक प्रभावी रूप से फैलाने के लिए सशक्त और समर्थ बनाया जा सके ।

(ख) आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में साम्यपूर्ण भागीदारी

(7) गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी नियोजन

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) प्राइमरा स्वरोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी मिलाकर आय-परक परिसम्पत्तियाँ देकर उनकी सहायता करके गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है । एस जी एस वाई के तहत् भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों के हिताधिकारियों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) में शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यू एस ई पी) और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू डब्ल्यू ई पी) नामक दो प्रमुख घटक होते हैं । यू एस ई पी एवं यू डब्ल्यू ई पी के तहत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के लाभ के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(ग) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) का उश्द्देय ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त समुदाय सृजन, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के साथ-साथ अतिरिक्त

मजदूरी रोजगार प्रदान करना है । चूँकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एन आर ई जी पी) 200 जिलों में प्रारंभ किया जा चुका है तथा इन जिलों में एस जी आर आई को एन आर ई जी पी में मिला दिया गया है, इसलिए बाकी जिलों में, जब तक कि इन्हें एन आर ई जी पी के अधीन नहीं लाया जाता, एस जी आर वाई के तहत नियतन की निश्चित प्रतिशत मात्रा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्प संख्यक समुदायों से संबंधित हिताधिकारियों के लिए निर्दिष्ट की जाएगी । इसके साथ ही साथ, नियतन की निश्चित प्रतिशत मात्रा उन गांवों में अवसंरचना सृजन के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की पर्याप्त जनसंख्या है ।

(8) तकनीकी प्राक्षिण के माध्यम से कौशल में वृद्धि करना

अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निम्न स्तर के तकनीकी कार्य में लगा हुआ है अथवा अपनी जीविका शिल्पकारों के रूप में चलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण के प्रावधान से उनके कर्मकौशल और अर्जन क्षमता में वृद्धि होगी । इसलिए सभी नए आई टी आई कालिजों में से निर्धारित आई टी आई कॉलिज अल्प संख्यक समुदाय बहुल क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे और आई टी आई में से निशचित अनुपात में उत्कृष्टता के केन्द्रों" में अपग्रेड किए जाने वाले आई टी आई का चयन इसी आधार पर किया जाएगा ।

(9) आर्थिक कार्यकलापों के लिए बड़ी हुई ऋण सहायता

(क) राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगत (एनएमडीएफसी) की स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1994 में की गई थी । सरकार एन एम डी एफ सी को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ करने के लिए इसको अधिक इक्विटी समर्थन देकर सशक्तिकरण करने के लिए वचनबद्ध है ।

(ख) स्वरोजगार पहलों के सृजन और उनकी वरकरारता के लिए बैंक ऋण आवश्यक है । प्राथमिकता के सेक्टर को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण् का 40% का लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निर्धारित किया गया है । प्राथमिकता के सेक्टर में अन्य के साथ-साथ, कृषि ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण और माइक्रो ऋण भी शामिल हैं । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रेणियों में उधार देने वाले उपयुक्त प्रतिशत तक के प्राथमिकता सेक्टर को अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित किया गया है ।

(10) राज्य और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

(क) पुलिस कार्मिक की भर्ती में, राज्य सरकार को परामर्श दिया जाएगा कि वह अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दें । इस प्रयोजन के लिए, चयन समितियों का गठन किया जाना चाहिए ।

(ख) केन्द्र सरकार केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए कार्मिकों की भर्ती में वैसी ही कार्रवाई करेगी ।

(ग) बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा दिए जाते हैं । ऐसे मामलों में भी, संबंधित विभाग यह सुनिचित करेंगे कि अल्पसंख्यक समुदायों से भर्ती के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ।

(ध) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यार्थियों के लिए सरकारी संस्थाओं में कोचिंग और ख्याति प्राप्त संस्थाओं में कोचिंग दिलाने के लिए एक अनन्य स्कीम प्रारंभ की जाएगी ।

(ग) अल्पसंख्यकों की दशा में सुधार करना

(11) ग्रामीण आवास योजना में न्यायसंगत भागीदारी

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीबों को आवास के लिए इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई) वित्तीय सहायता प्रदान करती है । आई ए वाई के तहत निश्चित प्रतिशत के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य गांवों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब हिताधिकारियों के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(12) अल्पसंख्यक समुदायों से बसी स्लम बस्तियों की दशा में सुधार करना

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई एच एस डी पी) स्कीमों और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत् केन्द्र सरकार भौतिक सुख सुविधाओं और मूल सेवाओं की व्यवस्था के माध्यम से शहरी स्लम बस्तियों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यों को सहायता प्रदान करती है । यह सुनिशचित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों और अति अल्पसंख्यक समुदाय बहुल शहरों/स्लम बस्तियों को समान रूप में पहुँचते हैं ।

(घ) सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और नियंत्रण

(13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम

उन क्षेत्रों में, जिनकी पहचान सांप्रदायिकता संवेदी और दंगा संभावित क्षेत्र के रूप में की जा चुकी है उच्चतम ज्ञान दक्षता, निष्पक्षता और धर्म निरपेक्ष रिकार्ड रखने वाले ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जानी चाहिए । ऐसे क्षेत्रों में और अन्यत्र भी, सांप्रदायिक तनाव की रोकथाम के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए । इस संबंध में उनके कार्य निष्पादन उनकी पदोन्नति के पूर्वेक्षण निर्धारण में महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए ।

(14) सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन

उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं या हिंसा में भाग लेते हैं । सांप्रदायिक अपराधों की न्यायिक जांच करने के लिए विशेष तौर पर निर्दिष्ट विशेष न्यायालय या न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उन अपराधियों को शीघ्रता से जवाब तलब किया जा सके ।

(15) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की जानी चाहिए तथा उनके पुनर्वास के लिए तुरंत और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ।

संलग्नक V

मार्ग - निर्देश

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम

1. माननीय राष्ट्रपति जी ने 25 फरवरी, 2005 को संसद के संयुक्त सदन को अपने संबोधन में यह कहा था कि विशेष व्यवधानों के कार्यक्रम को शामिल करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम फिर से लाया जाएगा । स्वतंत्रता दिवस, 2005 के अवसर पर अपने भाषण में, प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की कि "हम 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए फिर लागू करेंगे । नया 15 सूत्री कार्यक्रम निश्चित लक्ष्यों का होगा जिन्हें विशेष समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा ।" इन वादों के अनुसरण में, पूर्व कार्यक्रम को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के रूप में सशोधित किया गया है । कार्यक्रम की एक प्रति **सलग्नक–IV** पर हैं।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न प्रकार है :

(क) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना;

(ख) मौजूदा और नई स्कीमों, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता की राशि बढ़ाकर और राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना;

(ग) अवसंरचना विकास स्कीमों में अल्पसंख्यकों की उपयुक्त भागीदारी सुनिश्चित करके उनके जीवन स्तर की स्थितियों में सुधार करना;

(घ) सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और उस पर नियंत्रण ।

3. नए कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुश्निचित करना है कि विशेष सुविधाओं के वंचित लोगों के लिए विभिन्न सरकारी स्कीमों के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के गैर लाभान्वित वर्गों तक पहुंचते हैं । अल्पसंख्यकों के सुविधा वंचित व्यक्तियों को वस्तुतः विभिन्न सरकारों स्कीमों के लक्ष्य

समूहों में शामिल तो किया जाता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि इन स्कीमों के लाभ अल्पसंख्यकों को समान रूप से मिलते हैं, नए कार्यक्रम में निाश्चित अनुपात में विकास परियोजनाओं को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थापित करने की परिकल्पना है । इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं संभव होगा, विभिन्न स्कीमों के तहत 15% लक्ष्यों और विनियोगों को अल्पसंख्यकों के लिए निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

4. उपयुक्त उपायों के माध्यम से साम्प्रदायिक शांति एवं सामंजस्य बनाए रखने से संबधित कार्यक्रम पर जोर देना और सार्वजनिक क्षेत्र सहित सरकारी सेवा में अल्पसंख्यकों का युक्तिसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना हमेशा की तरह प्रबल है, और ये नए कार्यक्रम के महत्वपूर्ण संघटक बने रहेंगे ।

5. कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लिए किसी स्कीम में किसी मानदंड, नार्म या पात्रता संबंधी शर्त में कोई परिवर्तन या शिथिल करने की परिकल्पना नहीं है । ये कार्यक्रम में शामिल वास्तविक स्कीमों में यथा उपबंधित किए गए के अनुसार जारी रहेंगी । ये 15 सूत्री कार्यक्रम में "पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या" वाक्यांश उन जिलों/उप जिला यूनिटों पर लागू होता है जिनमें उस यूनिट की कुल जनसंख्या में से कम से कम 25% जनसंख्या अल्पसंख्यक समुदायों की हो ।

6. 15-सूत्रीय कार्यक्रम में पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या उन जिलों/उपजिला यूनिटों पर लागू होते है जिनमें उस यूनिट की कुल जनसंख्या में से कम से कम 25 प्रतिशत जनसंख्या अल्पसंख्यक समुदायों की होती है।

7. (क) कार्यक्रम के लक्ष्य समूह में अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत् अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पात्र वर्ग अर्थात् मुस्लिम, इसाई, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी शामिल हैं ।

(ख) उन राज्यों में जहां अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत् अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से वस्तुतः किसी एक समुदाय की अधिकता है, तो उनमें विभिन्न स्कीमों के तहत् भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों को निर्दिष्टिकरण केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए ही होगा । ये राज्य जम्मू एवं कमीर, पंजाब, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम हैं और लक्षद्वीप एकमात्र संघ क्षेत्र इस समूह में हैं ।

8. नए कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्यों के माध्यम से लागू किया जाएगा । संबंधित प्रत्येक मंत्रालय/विभाग इस कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की हैसियत से कम नहीं होगा । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय होगा ।

9. भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय परिव्यय

कार्यक्रम की जटिलता और इसके व्यापक प्रसार पर विचार करते हुए, संबंधित मंत्रालय (विभाग, जहाँ कहीं संभव हो, 15 प्रतिशत भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्यय (खर्च) अल्पसंख्यकों के लिए निर्दिष्टि करेंगे । देश में अल्पसंख्यकों की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली कुल जनसंख्या में से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अल्पसंख्यकों की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इनका वितरण राज्यों/संघ राज्यों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा : -

(क) (I) ग्रामीण क्षेत्रों को अनन्य रूप से लागू स्कीमों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के संगत अनुपात पर ही विचार किया जाएगा ।

(II) एक मात्र शहरी क्षेत्रों के लिए लागू स्कीमों के लिए, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के संगत अनुपात पर ही विचार किया जाएगा ।

(III) अन्य के लिए, जहां इस प्रकार का विभेदीकरण संभव नहीं है, सम्पूर्ण जनसंख्या पर विचार किया जाएगा ।

(ख) अनुच्छेद 7 (ख) में उल्लिखित राज्यों/संघ राज्यों के लिए, निर्दिष्टिकरण उन अल्पसंख्यकों के अलावा, जो अधिक संख्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए ही होगा ।

10. ऐसे निर्दिष्टिकरण के अधीन स्कीमें निम्न हैं :–

प्वाइंट नं. (क) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना

(I) आई सी डी एस सेवाओं की समान उपलब्धता

आंगन वाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाओं की व्यवस्था द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) स्कीम

(2) स्कूली शिक्षा ग्रहण करने में सुधार करना

सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम एवं अन्य वैसी ही सरकारी स्कीमें ।

प्वाइंट नं. (ख) आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में समान भागीदारी

(7) गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार

(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई)
(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई)
(ग) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई)

(8) तकनीकी ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई)

नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) और मौजूदा आई टी आई का दर्जा बढ़ाना

(9) आर्थिक गतिविधियों के लिए उन्नत उधार सहायता
(ख) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के तहत बैंक ऋण

प्वाईंट नं. (ग) अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को सुधारना

(11) ग्रामीण आवासीय स्कीम में समान भागीदारी
इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई)

(12) अल्प संख्यक समुदायों द्वारा बसी स्लम वस्तियों की स्थिति में सुधार एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई एच एसड़ी टी) एवं जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिसन (जे एन एन यू आर एम)

11. कार्यान्वयन, मोनीटरन एवं रिपोर्टिग

क. मंत्रालय/विभागीय स्तर

कार्यक्रम में शामिल स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालय/विभाग प्रत्यक्ष लक्ष्यों और वित्तीय परिव्यय के संदर्भ में इन स्कीमों का कार्यान्वयन और मॉनीटर करते रहेंगे । उनसे यह आशा की जाती है कि वे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा मासिक आधार पर करें तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमों के संबंध में कर्यान्वयन की तिमाही प्रगति रिपोर्ट आगामी तिमाही की पन्द्रह तारीख तक अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय को देंगे ।

(ख) राज्य/संध राज्य स्तर

(i) राज्यों/ संध राज्यों में आशा की जाती है कि वे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन करे जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव तथा 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत् स्कीमों को कार्यान्वित

करने वाले सचिव और विभागाध्यक्ष, पंचायती राज संस्थाओं /स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होने के साथ साथ अल्पसंख्यक के कार्य से जुड़ी ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि और राज्य सरकार / संध राज्य प्रशासन द्वारा उपयुक्त समझे गए तीन अन्य सदस्य हों राज्य सरकार / संघ राज्य के अल्प संख्यक कार्य विभाग को 15 सूत्री कार्यक्रम के मॉनीटरन के लिए नोड़ल विभाग बनाया जाए । समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होनी चाहिए तथा राज्य / संघराज्य के अल्प संख्यक कार्य विभाग,तिमाही प्रगति रिपोर्ट आगामी तिमाही की 15 तारीख तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजेगे ।

(ii) जिला स्तर

इसी प्रकार से, जिला स्तर पर भी, अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाए जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर /उपायुक्त और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे विभागां के जिला स्तर के अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं/स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य सहित, अल्पसंख्यकों के कार्यों से जुड़ी ख्याति प्राप्त संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि सदस्य होंगे । जिला स्तरीय समिति कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार । संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अल्पसंख्यक कार्य विभाग को देगी, ताकि इसे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जा सके ।

ग. केंद्र स्तर :

(i) केंद्रीय स्तर पर, लक्ष्यों के संदर्भ में, कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरन सचिवों की समिति (सी ओ एस) द्वारा छः माह में एक बार की जाएगी तथा उसकी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत की जाएगी । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा ताकि इस रिपोर्ट को सी ओ एस और केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष छः माह में एक बार प्रस्तुत किया जा सके । इस कार्यक्रम से संबंधित सभी मंत्रालय/विभाग तिमाही रिपोर्ट आगामी तिमाही को 15 तारीख तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे ।

(ii) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए एक समीक्षा समिति होगी जिसमें संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारी सहित, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव अध्यक्ष होंगे और इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी जिसमें प्रगति की समीक्षा करना, फीड बैक प्राप्त करना और समस्या समाधान तथा आवयकतानुसार स्पष्टीकरण देने का कार्य किया जाएगा ।

संलग्नक VI

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

मंजूर की गई सहायता अनुदान का राज्यवार सारांश 31.12.2006

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर की गई राशि (रू०)	एन. जी. ओ. की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	1000000	1
2.	आंध्र प्रदेश	53730000	36
3.	आसाम	17000000	9
4.	बिहार	45701800	30
5.	दिल्ली	16855500	13
6.	गोवा	5300000	3
7.	गुजरात	64411800	44
8.	हरियाणा	12260000	10
9.	जम्मू और कश्मीर	19142000	12
10.	झारखंड	5800000	4
11.	कर्नाटक	82066800	57
12.	केरल	70550000	37
13.	मध्य प्रदेश	31503000	29
14.	महाराष्ट्र	102863500	79
15.	मणिपुर	8500000	5
16.	उड़ीसा	3762000	7
17.	पंजाब	6167000	6
18.	राजस्थान	24750000	16
19.	तमिलनाडू	20628200	16
20.	उत्तराखंड	6500000	5
21.	उत्तर प्रदेश	281559020	256
22.	पश्चिम बंगाल	38140000	27
	कुल	**918190620**	**702**

संलग्नक VII

पिछले तीन वर्षों के दौरान मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा मंजूर की गई राज्यवार छात्रवृत्तियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर की गई छात्रवृत्तियों की संख्या कुल			योग
		2003.2004	2004.2005	2005.2006	
1.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	4	4
2.	आंध्र प्रदेश	53	110	145	308
3.	आसाम	2	81	131	214
4.	बिहार	2	178	221	401
5.	चंडीगढ़	0	9	0	9
6.	छत्तीसगढ़	8	0	12	20
7.	गोवा	0	8	6	14
8.	गुजरात	0	505	77	582
9.	हरियाणा	8	5	0	13
10.	हिमाचल प्रदेश	4	0	0	4
11.	जम्मू और कश्मीर	0	319	34	353
12.	झारखंड	2	40	62	104
13.	कर्नाटक	31	137	838	1006
14.	केरल	80	150	159	389
15.	मध्य प्रदेश	17	70	64	151
16.	महाराष्ट्र	53	147	406	606
17.	मणिपुर	11	11	12	34
18.	मेघालय	0	0	2	2
19.	मिजोरम	0	2	13	15
20.	नागालैंड	8	0	0	8
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	50	48	105
22.	उड़ीसा	12	30	13	55
23.	पंजाब	4	14	15	33
24.	राजस्थान	2	41	76	119

25.	तमिलनाडू	34	120	91	245
26.	त्रिपुरा	0	0	3	3
27.	उत्तर प्रदेश	174	452	727	1353
28.	उत्तराखंड	6	11	14	31
29.	पश्चिम बंगाल	116	291	398	805
	कुल	**634**	**2781**	**3571**	**6986**

CONTENTS

CHAPTER	TITLE	PAGE
1.	Introduction	1-5
2.	Highlights	5-9
3.	Prime Minister's New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities	10-11
4.	Scheme of coaching and allied assistance	12
5.	Centrally sponsored scheme of merit-cum-means based scholarship scheme for students belonging to minority communities	13
6.	Constitutional/Statutory/Autonomous Bodies/ Corporations/Commissions	14
7.	National Commission for Minorities	15-18
8.	Wakf administration and Central Wakf Council	19-23
9.	Administration of Khawaja Durgah Saheb Act, 1955	24
10.	Commissioner for Linguistic Minorities	25
11.	National Minorities Development & Finance Corporation	26-28
12.	Maulana Azad Education Foundation	29-31
13.	National Commission for Religious and Linguistic Minorities	32
14	Implementation of Minority Welfare Programmes/ Schemes in North Eastern States and Sikkim	33
15	Gender Issues	34
	ANNEXURES	35-51

CHAPTER 1

INTRODUCTION

ORGANISATION

1.1 A new Ministry of Minority Affairs was created on 29th January, 2006 to ensure a more focused approach towards issues relating to the minorities and to facilitate the formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of the regulatory framework and development programmes for the benefit of the minority communities.

1.2 The Ministry is headed by Shri A.R.Antulay, Union Minister. Smt. Sarita Prasad, Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment was given additional charge of this Ministry. Shri M.N.Prasad assumed charge of the office of Secretary on 1st March, 2006. Three posts of Joint Secretaries were sanctioned subsequently. The Joint Secretaries are heading the wings of Policy, Planning, Coordination & Evaluation; Institutions & Media and Establishment & Wakf respectively. Five Directors/Deputy Secretaries would be assisting them. A core staff of 27 person of the erstwhile Minority Division of the Ministry of Social Justice & Empowerment was transferred to this Ministry on 10th March, 2006. In addition, 29 additional posts were approved subsequently for the Ministry. A statement indicating the sanctioned strength of the Ministry is at Annexure-I.

1.3 The organizational chart of the Ministry of Minority Affairs is at Annexure II.

ALLOCATION OF SUBJECTS

1.4 The Ministry of Minority Affairs has a wide charter relating to overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory framework and developmental programmes relating to the minority communities. The list of subjects allocated to the Ministry is given below:-

1. Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and developmental programmes of the minority communities.

2. All matters relating to minority communities except matters relating to law and order.

3. Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Governments.

4. Matters relating to linguistic minorities and of the office of the Commissioner for Linguistic Minorities.

5. Matters relating to the National Commission for Minorities Act.

6. Work relating to the evacuee Wakf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) (since repealed).

7. Representation of the Anglo-Indian Community.

8. Protection and preservation of non-Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs.

9. Questions relating to the minority communities in neighbouring Countries, in consultation with the Ministry of External Affairs.

10. Charities and Charitable Institutions, Charitable and religious Endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

11. Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities; minority organisations, including the Maulana Azad Education Foundation.

12. The Wakf Act, 1995 (43 of 1995) and Central Wakf Council.

13. The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

14. Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation.

15. Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector.

16. Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments.

17. National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities.

18. All matters relating to the Justice Sachar Committee.

19. Prime Minister's new 15-Point Programme for Minorities.

20. Any other issue pertaining to the minority communities.

ADMINISTRATION AND IMPLEMENTATION OF VARIOUS ACTS

1.5 The Ministry is responsible for the administration and implementation of the following Acts:

(i) National Commission for Minorities Act, 1992

(ii) Wakf Act, 1995

(iii) Durgah Khawaja Saheb Act, 1955

ACCOMMODATION

1.6 With effect from 19th February, 2007, the Ministry is located in Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi.

USE OF HINDI IN OFFICIAL WORK

1.7 During the period under report, efforts have been made to promote the use of Hindi in official work. The Ministry issued important orders/notifications bilingually in accordance with Section 3(3) of the Official Language Act, 1963. The Ministry observed the "Hindi Divas" on 14th September, 2006.

1.8 The Ministry could not constitute the Hindi Advisory Committee, since the Senior Hindi Translator and stenographer/typist are still to be posted.

VIGILANCE UNIT

1.9 Shri Ameising Luikham, Joint Secretary has been appointed as part-time Chief Vigilance Officer (CVO) with effect from 10th November, 2006. He is assisted by a Director and a Section Officer, in addition to their other duties. The Ministry observed the vigilance week from 6th to 10th November, 2006.

1.10 Quami Ekta Week (National Integration Week): The Ministry observed the Quami Ekta Week (National Integration Week) from 19th to 25th November, 2006 to foster the spirit of patriotism, communal harmony and national integration.

e-GOVERNANCE

1.11 The web-site of the Ministry has been launched on URL www.minorityaffairs.gov.in. Basic information about the activities of the Ministry and its programmes, the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities and the report of the Prime Minister's High Level Committee on the "Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India" is available on the web-site.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

1.12 The Ministry of Minority Affairs has a designated officer as its Central Public Information Officer (CPIO) for all matters concerning this Ministry. Shri Sujit Datta, Joint Secretary has been designated as the Appellate Authority.

BUDGET

1.13 An allocation of Rs.2 crores (non-Plan) was provided initially for the Ministry of Minority Affairs for the year 2006-07. An amount of Rs. 7.49 crores for non-plan and Rs.19.89 crores for plan schemes was transferred technically from the Budget of the Ministry of Social Justice & Empowerment. Further, through the first batch of supplementary grants, an amount of Rs.111.00 crores (plan) and Rs.3.14 crores (non-plan) was allocated to this Ministry. A statement indicating programme/scheme-wise allocations is at Annexure III.

CHAPTER 2

HIGHLIGHTS

Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities

2.1 The Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities was announced in June, 2006.

2.2 The objectives of the programme are (a) Enhancing opportunities for education (b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment, through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment, and recruitment to State and Central Government jobs (c) Improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for them in infrastructure development schemes (d) Prevention and control of communal disharmony and violence.

2.3 An important aim of the new programme is to ensure that the benefits of various Government schemes for the underprivileged reach the disadvantaged sections of the minority communities. In order to ensure that the benefits of these schemes flow equitably to the minorities, the new programme envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration areas. It also provides that, wherever possible, 15% of physical targets and financial outlays under various schemes should be earmarked for minorities.

2.4 As envisaged in the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities, earmarking of 15% of the physical targets and financial outlays for 2006-07 has already been done in respect of the schemes, which were considered amenable to earmarking. These targets have been conveyed to the Ministries/Departments concerned.

Identification of Minority Concentration Districts (MCDs)

2.5 The Ministry of Minority Affairs has completed the identification of minority concentration districts (MCDs), based on the population data of 2001 census and backwardness parameters. Once the list is approved, it would be possible to address the backwardness of these districts through appropriate ameliorative measures.

Inter-ministerial Task Force on geographical distribution of minorities:

2.6 The policy implications of the geographical distribution of minorities in India and, in particular, the urban bias in the distribution has been examined in detail by the Ministry. An inter-ministerial task force has been constituted under the chairmanship of Member, Planning Commission to look into the policy implications of the distribution of minority population and suggest suitable remedial steps in the fields of housing, education, health and civic amenities to improve their living conditions and employment prospects.

Maulana Azad Education Foundation (MAEF)

2.7 The Foundation is implementing its schemes out of the interest earned on its corpus fund, which is its only source of income. The corpus fund has been provided to the Foundation as part of plan assistance. The corpus fund has been augmented by Rs.100 crores during the year 2006-07. Presently, MAEF has a corpus fund of Rs. 200 crores.

National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC)

2.8 An expert committee consisting of professional bankers and financial experts has been constituted to review the functioning of the National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) and suggest an action plan for improving the operational performance of the Corporation. The report of the committee is expected shortly.

Policy & Planning

2.9 The Working Group on the 'Empowerment of Minorities' commenced its work in August, 2006 and has submitted its report in October, 2006. Taking into account these recommendations, the Ministry submitted its proposals for the Annual Plan 2007-08 and XI Five Year Plan (2007-2012) to the Planning Commission.

High Level Committee

2.10 The Prime Minister's High Level Committee was set up under the chairmanship of Justice Rajindar Sachar to prepare a comprehensive report on the social, economic and educational status of the Muslim community of India. The High Level Committee submitted its report to the Prime Minister on 17th November, 2006. The report has been tabled in both Houses of Parliament on 30th November, 2006. Follow up action on the report is being taken.

National Commission for Religious and Linguistic Minorities (NCRLM)

2.11 A National Commission for Religious and Linguistic Minorities (NCRLM) was constituted under the chairmanship of Justice (Retd) Ranganath Misra for making a detailed examination and determining the criteria for identification of socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities and to suggest measures for their welfare, including reservation in education and Government employment. The report of the Commission is expected by 31st March, 2007.

National Commission for Minorities (NCM)

2.12 The fifth Annual Conference of State Minorities Commissions was organized by the National Commission for Minorities on 2nd November, 2006. The conference was addressed by the Prime Minister. Five Annual Reports of the National Commission for Minorities namely the 4th, 5th & 7th 10th & 11th reports for the years 1996-97, 1997-98, 1999-2000, 2002-03 & 2003-04 have been tabled in

both of Houses of Parliament, alongwith the action taken memoranda. The rest are expected to be tabled in this session.

2.13 The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Bill, 2004 was introduced in the Lok Sabha on 23rd December, 2004 to confer constitutional status on the National Commission for Minorities. Simultaneously, the National Commission for Minorities (Repeal) Bill, 2004 was also introduced in the House. It is felt that conferring of constitutional status on NCM would inspire greater confidence amongst the minorities and the Commission would be more effective in safeguarding their interests. These bills were referred to the Standing Committee on Social Justice and Empowerment for examination and report. The Standing Committee presented its report to the Lok Sabha on 21st February, 2006. The recommendations of the Standing Committee have been examined in consultation with the concerned Ministries and Departments and it is expected that official amendments would be moved soon.

Central Wakf Act,1995

2.14 A comprehensive review of the Wakf Act, 1995 is also under consideration of the Government in order to make it more effective.

Other Important events:

2.15 An "Interaction Session" was held with Kashmiri Migrants (Pandits) residing in the National Capital Region at New Delhi on 15th April, 2006 under the chairmanship of Shri A.R.Antulay, Minister of Minority Affairs.

MINISTER (MINORITY AFFAIRS) WITH SECRETARY AND SOME MEMBERS OF THE BRITISH DELEGATION

2.16 A six-member delegation of British Muslims led by Lord Adam Patel called on Shri A.R.Antulay, Minister of Minority Affairs on 15th May, 2006.

2.17 A meeting of Members of Parliament belonging to minority communities was held on 5th December, 2006 in Parliament House Annexe. Shri A.R.Antulay, Minister of Minority Affairs presided over the meeting.

CHAPTER 3

THE PRIME MINISTER'S NEW 15-POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITIES

3.1 The 15-Point Programme for the Welfare of Minorities was launched in May, 1983. It was commonly known as the "Prime Minister's 15- Point Programme for the Welfare of Minorities". The President of India, in his address to the Joint session of Parliament on 25th February, 2005 announced that the Government would recast the 15-Point Programme for the welfare of minorities with a view to incorporate programme specific interventions. The Prime Minister, in his address to the nation on the occasion of Independence Day on 15th August, 2005, announced, inter alia: "We will also revise and revamp the 15-Point Programme for Minorities. The new 15 Point Programme will have definite goals which are to be achieved in a specific time frame."

3.2 In pursuance of the above commitments, the Prime Minister's New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities was announced in June, 2006. The objectives of the programme are (a) Enhancing opportunities for education (b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment and recruitment to State and Central Government jobs (c) improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for them in infrastructure development schemes and (d) Prevention and control of communal disharmony and violence. A copy of the Prime Minister's New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities is at Annexure IV.

3.3 An important aim of the new programme is to ensure that the benefits of various government schemes for the underprivileged reach the disadvantaged sections of the minority communities. In order to ensure that the benefits of these schemes flow equitably to the minorities, the new programmes envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration districts. It also provides that wherever possible, 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for minorities.

3.4 As envisaged in the Prime Minister's New Programme for the Welfare of Minorities, earmarking of 15% of physical and financial outlays has been done in respect of most of the schemes, which are amenable to earmarking. The targets have been conveyed to all States/Union Territories by the Ministries/Departments concerned. A copy of the guidelines issued is given at Annexure V.

CHAPTER 4

SCHEME OF COACHING & ALLIED ASSISTANCE

4.1 Minority communities, particularly the Muslim community, are amongst the most backward in terms of education and economic development. Candidates belonging to these communities are often denied admission to professional courses in reputed engineering/medical/business colleges owing to lack of proper coaching. There are also cases where such candidates succeed in getting admission to such institutions but require remedial coaching in these institutions to catch up with the rest of the class and also to complete the courses successfully. Further, many of the candidates from the minority communities are not able to get through competitive examinations for employment in the public and private sectors owing to lack of proper coaching.

4.2 The objective of the scheme is to assist economically weaker sections of candidates belonging to minority communities by providing them opportunities for enhancing their knowledge, skills and capabilities for employment in Government/private sector through competitive examinations, and for admission in reputed institutions in technical and professional courses at under-graduate and post- graduate levels and remedial coaching in such institutions to complete their courses successfully.

4.3 This is an ongoing scheme transferred from the Ministry of Social Justice & Empowerment. There is a budgetary provision of Rs.1.60 crores for the year 2006-07. Funds are excepted to be utilized by the end of the financial year.

CHAPTER 5

CENTRALLY SPONSORED SCHEME OF MERIT-CUM-MEANS BASED SCHOLARSHIP SCHEME FOR STUDENTS BELONGING TO MINORITY COMMUNITIES

5.1 The Finance Minister announced in his budget speech 2006-07 that 20,000 merit-cum-means based scholarships would be awarded to students belonging to minority communities every year to enable them to pursue higher studies. Accordingly, an appropriate scheme has been formulated. As per the provisions of the scheme, financial assistance will be provided to students to pursue professional and technical courses at graduate and post-graduate levels in an institution recognized by an appropriate authority. The aim of the scheme is to enhance opportunities for education, which is also the primary focus in the 15-Point Programme to increase the number of professionals and technocrats from the minority communities and to increase their employability in the job market. The scheme will be implemented through the State Governments and Union Territory Administrations. The scheme has been recommended by the Expenditure Finance Committee (EFC) and the approval of the competent authority is awaited.

CHAPTER 6

CONSTITUTTIONAL/STATUTORY/ AUTONOMOUS BODIES/CORPORATIONS/COMMISSIONS

6.1 The Ministry of Minority Affairs has the following constitutional, statutory, autonomous bodies, corporations/ commissions:-

- National Commission for Minorities, New Delhi
- Central Wakf Council, New Delhi.
- Commissioner for Linguistic Minorities, Allahabad.
- National Minorities Development and Finance Corporation, New Delhi.
- Maulana Azad Education Foundation, New Delhi
- National Commission for Religious and Linguistic Minorities, New Delhi.

CHAPTER-7

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

Introduction:

7.1 In January, 1978, the Government of India, through an executive order, set up a "Minorities Commission" to safeguard the interests of minorities. With the enactment of the National Commission for Minorities Act, 1992 (NCM Act, 1992) the Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the "National Commission for Minorities". The Act extends to the whole of India, except the State of Jammu & Kashmir.

7.2 The first statutory commission was constituted on 17th May, 1993. In accordance with Section 4 of the NCM Act, 1992, each Member holds office for a period of three years from the date of assumption of office.

7.3 The Government of India vide Notification dated 23rd October, 1993 notified five religious communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) as minority communities under Section 2 (c) of the NCM Act, 1992.

Functions of the Commission:

7.4 The main functions of the Commission are to evaluate the progress of the development of minorities, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by the Central Government/State Governments for the protection of the interests of minorities and look into specific complaints regarding deprivation of rights of the minorities. It also causes studies, research and analysis to be undertaken on the issues relating to the socio-economic and educational development of minorities and make recommendations for the effective implementation of the safeguards for the protection of the interests of minorities.

Present Composition

7.5 The present Commission constituted on 3rd March, 2006, consists of the

following Members :-

1. Shri Mohammad Hamid Ansari	Chairman
2. Shri Michael P.Pinto	Vice-Chairman
3. Ven. Lama Chosephel Zotpa	Member
4. Shri Harcharan Singh Josh	Member
5. Dr. Dileep Padagaonkar	Member
6. Prof. Zoya Hasan	Member
7. Vacant*	Member

*(Late Lt. Gen. (Retd.) A.M.Sethna, from 3rd March to 17.10.2006)

7.6 The Chairman and Vice-Chairman of the Commission have been conferred the status of Union Cabinet Minister and Minister of State respectively.

Recruitment Rules:

7.7 Recruitment rules in respect of Group 'C' and 'D' posts in the National Commission for Minorities have been notified on 26th April, 2006. Recruitment rules in respect of Group 'A' and 'B' posts are being finalized in consultation with the Department of Personnel & Training, Union Public Service Commission and the Ministry of Law & Justice.

Annual Reports of the Commission:

7.8 The National Commission for Minorities, in accordance with Section 12 of the National Commission for Minorities Act, 1992 prepares and submits its Annual Report to the Ministry. In accordance with Section 13 of the NCM Act, 1992, the Annual Report of the Commission, together with a Memorandum of Action Taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendations, is to be laid before each House of Parliament. Recommendations pertaining to various State Governments/Union Terrtory Administrations are forwarded to them for taking necessary action in accordance with Section 9(3) of the NCM Act, 1992.

7.9 The National Commission for Minorities has submitted thirteen annual reports for the years 1993-94 to 2005-2006. The first three annual reports of the National Commission for Minorities, alongwith the Action Taken Memoranda, were laid in both Houses of

Parliament before this Ministry was created. During the year under report, the Ministry of Minority Affairs has already tabled five annual reports in both Houses of Parliament, as indicated below:-

Sl.No.	Year	Date of Laying the Annual Report in	
		Rajya Sabha	Lok Sabha
1.	1996-1997	15.05.2006	11.05.2006
2.	1997-1998	18.12.2006	14.12.2006
3.	1999-2000	18.12.2006	14.12.2006
4.	2002-2003	18.12.2006	14.12.2006
5.	2003-2004	18.12.2006	14.12.2006

State Minorities Commissions

7.10 The State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhatisgarh, Delhi, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal have set up statutory State Minorities Commissions. The State Governments of Manipur and Uttarakhand have set up non-statutory Commissions. The Ministry has also requested the remaining State Governments/Union Territory Administrations to set up such Commissions.

7.11 The National Commission for Minorities convened the Fifth Annual Conference of State Minorities Commissions at New Delhi on 2nd November, 2006. The Conference was inaugurated by the Prime Minister. Ministers of Home Affairs, Human Resource Development and Minority Affairs attended the conference. The Prime Minister, in his inaugural address, emphasized the need for implementation of the new 15-Point Programme for the Welfare of Minorities. He also assured that the Bill to confer constitutional status on the National Commission for Minorities would be enacted as early as possible.

Constitution One Hundred and Third (Amendment) Bill, 2004

7.12 The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Bill, 2004, to confer constitutional status on the National Commission for Minorities was introduced in the Lok Sabha in December, 2004. The above mentioned Bill was referred to the Standing

Committee on Social Justice and Empowerment for examination and report. The Standing Committee presented its Report to the Lok Sabha on 21st February, 2006. The recommendations of the Standing Committee have been examined in consultation with the Ministries/Departments concerned and official amendments are expected to be moved shortly.

CHAPTER 8

WAKF ADMINISTRATION AND CENTRAL WAKF COUNCIL

8.1 Wakf is a permanent dedication by a person professing Islam, of any moveable or immoveable property for any purpose, recognized by Muslim law as pious, religious, or charitable.

8.2 The Ministry is responsible for the administration of the Wakf Act, 1995, which was enacted on 1st January, 1996. The Act extends to the whole of India, except the state of Jammu & Kashmir. Twenty two States, namely Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhatisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal and Union Territories namely Andaman & Nicobar, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Delhi, Lakshadweep and Pondicherry have constituted Wakf Boards under the Act.

Development Project of Putthanpalli, Jaram Madarsa and Hospital, Paripalana, Malapuram (Kerala)
(constructed with loan assistance from the Central Wakf Council)

Vocational Training Centre of Muslim Arabic Junior High School, Ujhari, J.P. Nagar (U.P.) (funded by Central Wakf Council)

The Central Wakf Council

8.3 The Central Wakf Council is a statutory body, established in December, 1964, under Section 8A of the Wakf Act, 1954 (now read as Sub-Section (1) of Section 9 of Wakf Act, 1995). The Council consists of the Union Minister in-charge of Wakfs as ex-officio Chairperson and such other Members, not exceeding twenty in number, appointed by the Government of India. The Secretary, Central Wakf Council is the Chief Executive of the Council. The main function of the Central Wakf Council is to advise the Government of India on matters concerning the working of Wakf Boards and the due administration of wakfs in the country. Besides, important issues affecting the community, especially those pertaining to religious matters like administration of mosques, durgahs and the proper management of properties are also considered by the Council and its committees.

8.4 The Central Wakf Council normally meets twice a year. However, various committees of the Council meet, as often as possible, to transact business relating to the monitoring of programmes, administrative and financial matters, implementation of the scheme for development of urban wakf properties and educational schemes. The committees discharge the functions entrusted to them by the Council from time to time.

8.5 In terms of Section 10(1) of the Wakf Act, 1995, the Council derives its income from the contribution received by it from the various State Wakf Boards @ 1% (one per cent) of the net income of wakfs. All the administrative and other expenses of the Council are met from this income.

Schemes Run By Central Wakf Council

8.6 The Central Wakf Council, apart from advising the Central Government on matters pertaining to wakfs, has also been entrusted with the work of running the scheme for development of urban wakf properties and educational advancement programmes for the community. The details are as under;

(i) Scheme of Development of Urban Wakf Properties:-

With a view to protect vacant wakf land from encroachers and to develop it on commercial lines for generating more income so as to widen welfare activities, the Council has been implementing this scheme since 1974-75 with yearly grants-in-aid from the Central Government. Under the scheme, loans are extended to various wakf institutions in the country for taking up economically viable projects on wakf land, such as commercial complexes, marriage halls, hospitals, cold storages etc. For this, the Central Government has released a total grant-in-aid amounting to Rs.28.2036 crores since the inception of the scheme. The Council has extended loans to 115 projects. Of these, 75 projects have been completed and are generating income. 16 projects have refunded the loan without construction and work on five projects (i.e. three in Bihar, one in Karnataka and one in Orissa) is held up owing to different reasons and work on nineteen projects is in progress. Against the budgetary allocation of Rs.2.06 crores for the current financial year, an amount of Rs.0.73 crore has been released to the Council. The balance amount is likely to be released during the year.

(ii) Loan from Revolving Fund for development of wakf properties:-

The loan amount, repaid to the Council by the loanee institutions, forms the Revolving Fund of the Council, which is again utilized for minor development projects on wakf land by advancing loans up to the tune of Rs.20 lakhs only. The Council has released a sum of Rs.4.49 crores to 86 projects out of which 66 projects have been completed and work on 20 projects is in progress.

8.7 The grant-in-aid received by the Central Wakf Council is forwarded to the loanee wakfs in the form of interest free loans for the development of urban wakf properties with the following two conditions:-

(i) they would pay 6% donation on the outstanding loan to the Education Fund; and
(ii) after repayment of the loan, they would spend 40% of their enhanced income on the education of Muslims, particularly on technical education.

Educational programmes

8.8 The 6% donation received from loanee wakfs on the outstanding loan under the scheme of development of urban wakf properties, as well as the interest accrued on the bank deposits of the revolving fund, form the Education Fund of the Council. This fund is utilised for implementing the following programmes;

(a) Scholarships to poor students pursuing technical/professional degree courses @ Rs. 8,000/- per annum from the current financial year (as against Rs.6,000/- per annum earlier).

(b) Ad-hoc grant to poor and needy students of general degree courses @ Rs. 3,500/- per annum from the current financial year (as against Rs.3,000/- in earlier years).

(c) Matching grant to the State Wakf Boards for providing scholarship in their respective States to Higher Secondary school students, Madarsa students and to students undergoing technical/professional diploma courses;

(d) Grant for the establishment of ITIs in Muslim concentration areas;

(e) Financial assistance to voluntary organizations for vocational training centres; and

(f) Financial assistance to libraries for developing book banks.

8.9 The Council has sanctioned 10,802 scholarships to students of technical degree courses like MBBS, BUMS, BAMS, B.Tech and B.Sc (Ag.) etc. upto 31st March, 2006. Similarly in 3766 cases ad-hoc grants have been given under the scheme of ad-hoc grant to poor and needy students. 601 voluntary organizations/technical institutes have been assisted for technical training/vocational training.

8.10 Under the scheme for setting up ITIs, the Central Wakf Council has provided financial assistance for establishing thirteen ITIs in Muslim concentration areas.

8.11 During the current financial year 2006-07, upto December, 2006, the amount sanctioned/disbursed by the Council is as given below:-

		Amount sanctioned (Rs. in Lakhs)
i)	Scholarship to 570 continuing students pursuing professional/technical degree courses	: 45.60
ii)	Grants to three ITIs	: 16.67
iii)	Financial assistance to two vocational training centres	: 07.50
iv)	Financial assistance to one Library	: 00.20

Joint Parliamentary Committee on Wakf :

8.12 The Joint Parliamentary Committee (JPC) on Wakf was constituted on 2nd January, 2006. The earlier Committee stood dissolved after dissolution of the 13th Lok Sabha. The terms of reference of the Committee are as follows:-

(a) to ascertain the status of implementation of the Wakf Act, 1995 by various State Governments;

(b) to suggest such amendments to the Wakf Act, 1995, as may be considered necessary, so as to achieve its objectives including retrieval of the wakf properties encroached upon;

(c) to examine the functioning of the Central Wakf Council and suggest suitable measures for its effective functioning; and

(d) to look into the working of the State Wakf Boards and recommend suitable measures for their proper and smooth functioning .

8.13 The Committee hears the representatives of the States concerning wakf matters and also visits different States. The present Committee has so far visited Rajasthan, Karnataka, Assam and West Bengal during the year under report.

CHAPTER 9

ADMINISTRATION OF DURGAH KHAWAJA SAHEB ACT,1955

9.1 The Durgah of Khawaja Moin-ud-din Chishti at Ajmer in Rajasthan is a wakf of international fame. The Durgah is being administered under a Central Act known as the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955. The administration, control and management of the Durgah Endowment vests in the Durgah Committee, Ajmer constituted as per the provisions of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955. The Members of the Committee are appointed by the Central Government under Section 5 of the Act. The Committee consists of not less than five and not more than nine members all of whom are Hanafi Muslims, appointed by the Central Government. The Central Government, in consultation with the Committee, appoints the Nazim of the Durgah in accordance with Section 9 of the Act. The Nazim is the ex-officio Secretary of the Committee.

9.2 According to information furnished by the Durgah Committee, during the year 2006-2007, an amount of approximately Rs.1.57 crores (upto 20th December, 2006) has been received by way of rent from the Durgah Guest House, rented properties and donations and contributions. The Durgah Committee has sanctioned a budget of Rs.2.13 crores towards expenditure on welfare activities, up keep and maintenance of Durgah Sharif during the year.

9.3 The services being rendered by the Durgah Committee include free meals to poor pilgrims, stipends for widows, aid to needy persons, free medical aid, burial of unclaimed bodies, running of schools in rural areas, computer centre and coaching classes for competitive examinations etc.

9.4 The 794th Urs of Khwaja Moin-ud-din Chishti was celebrated in a befitting manner, wherein about 9 lakh devotees irrespective of faith, caste and creed, paid homage to the mighty soul of India. Various dignitaries visited the Durgah during the period under report.

CHAPTER 10

COMMISSIONER FOR LINGUSTIC MINORITIES

10.1 The office of the Commissioner for Linguistic Minorities was set up in July, 1957 in pursuance of Article 350B of the Constitution, which came into existence as a result of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, consequent to the recommendations of the States Reorganization Commission. As per Article 350B, it is the duty of the Commissioner for Linguistic Minorities to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution and report to the President upon those matters, at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned.

10.2 The office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) has its headquarters at Allahabad with three regional offices at Kolkata, Belgaum and Chennai. The CLM takes up matters pertaining to the grievances arising out of the non-implementation of the constitutional provisions and Nationally Agreed Scheme of Safeguards relating to linguistic minorities that come to his notice or are brought to his knowledge by the linguistic minorities, groups, associations or organizations at the highest political and administrative levels of the State Governments and Union Territory Administrations and recommends remedial action.

10.3 The 43rd Report of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period July 2004 to June 2005 submitted to the President has been tabled in the Lok Sabha and Rajya Sabha on 23rd November and 27th November, 2006 respectively.

CHAPTER 11

NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION

11.1 The National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) was incorporated on 30th September, 1994 with the objective of promoting economic activities amongst the backward sections of notified minorities. To achieve its objective, the Corporation provides concessional finance for self-employment activities to eligible beneficiaries, belonging to the minority communities, having a family income below double the poverty line.

11.2 NMDFC has an authorized share capital of Rs. 650 crores out of which, the share of Govt. of India is Rs.422.50 crores (65%) and the share of the State Govts. is Rs.169 crores (26%) while the remaining Rs. 58.50 crores (9%) is to be contributed by institutions/individuals having interest in minorities. Govt. of India has so far contributed Rs.357.07 crores towards the equity of NMDFC, while Rs.94.05 crores has been contributed by various State Governments.

11.3 NMDFC has two channels to reach the ultimate beneficiaries, viz. (i) through State channelising agencies (SCAs) nominated by the respective State/UT Government and (ii) through non-governmental organizations (NGOs). Under the SCA window, projects costing up to Rs.5.00 lakhs for individual beneficiaries are financed. Funds for this purpose are made available to the SCAs at an interest rate of 3% for further loaning to the beneficiaries at 6%. The Corporation is also implementing schemes of Vocational Training & Educational Loan, through the SCAs, for capacity building of the target groups as well as for wage employment.

11.4 Under the NGO programme, micro-credit up to Rs. 25,000/-, could be given to members of the minority self help groups (SHGs), through the NGOs. Funds for this purpose are made available to the NGOs at 1% for further lending at an interest rate of 5% per annum. In addition to lending activity, NMDFC assists the targeted group in training for skill up gradation and marketing assistance. Under NGOs programme, there is also a provision of interest free loan (adjustable as grant) for promotion and stabilization of SHGs.

11.5 NMDFC has recently launched an Educational Loan Scheme, through the State Channelising Agencies. Under this scheme NMDFC provides upto Rs. 2,50,000/- to the eligible candidates belonging to minorities at a concessional interest rate of 3% p.a. for pursuing professional and technical education.

Achievements

11.6 Under the SCA programme upto 31st December, 2006, NMDFC has given financial assistance to 2,15,836 beneficiaries spread over 25 States and three Union Territories to the tune of Rs.827.00 crores. In the current financial year, up to 31st December, 2006, an amount of Rs.56.05 crores has been disbursed to 13,690 beneficiaries.

11.7 The NGO programme is being implemented by NMDFC since 1998-99. Till 31st December, 2006, a total disbursement to the tune of Rs. 34.98 crores has been made under the micro financing scheme for 88,533 beneficiaries. In the current financial year 2006-07 i.e. up to 31st December, 2006, micro-credit of Rs.262.27 lakhs has been disbursed to NGOs for 3064 beneficiaries.

Review and Restructuring

11.8 The performance of NMDFC so far, as compared to the overall size of the target group, underlines the need for strengthening NMDFC so as to make it a more effective instrument of intervention. While Government is committed to providing greater economic support, the weak infrastructure of state channelising agencies has been a major impediment for its efficient functioning. In the field of micro-financing, many NGOs are not forthcoming because of the small margin of interest. The Government has, therefore, constituted an Expert Committee, consisting of professional bankers and financial experts, to review the functioning of the National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) and suggest an action plan for improving the operational performance of the Corporation. The report of the committee is expected soon.

CHAPTER-12

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

12.1 The Maulana Azad Education Foundation (MAEF) was established in the year 1989 as a voluntary, non-political, non-profit making society registered under the Societies' Registration Act, 1860 to formulate and implement educational schemes for the benefit of educationally backward minorities.

12.2 The main objectives of MAEF are to formulate and implement educational schemes and plans for the benefit of the educationally backward minorities in particular and weaker sections in general, to establish residential schools, especially for girls, in order to provide modern education to them and to promote research and encourage other efforts for the benefit of educationally backward minorities.

General Body & Governing Body

12.3 The General Body of the Foundation consists of fifteen members, consisting of six ex-officio members and nine nominated members. The latter are nominated by the President of the Foundation for a period of three years. The Union Minister for Minority Affairs is the ex-officio President of the Foundation. As per the rules & regulations of the Foundation, the General Body meets at least twice in a calendar year. The management of the Foundation is vested in and rests with the Governing Body. As per Rules & Regulations of the Foundation, the Governing Body is to meet at least once in two months.

Schemes

12.4 The Foundation, since its inception, has been extending financial assistance for construction and expansion of hostels and technical and vocational training, with emphasis on girl students. The various schemes run by the Foundation are as under:-

(i) Financial assistance to establish/expand schools/residential schools/colleges;

(ii) Financial assistance for purchase of laboratory equipment and furniture etc;

(iii) Financial assistance for setting up/strengthening vocational/technical training centre/institutes;

(iv) Financial assistance for construction of hostel buildings;

(v) Maulana Azad National Scholarships for meritorious girl students;

(vi) Maulana Azad Sadbhawana Kendras; (since discontinued)

(vii) Maulana Abdul Kalam Azad Literacy Awards.

Corpus Fund

12.5 The Foundation is implementing schemes out of the interest earned on its Corpus Fund, which is its only source of income. The Corpus Fund has been provided to the Foundation as part of plan assistance. The Corpus fund, which stood at Rs.30.01 crores during the Eighth Plan, was augmented by Rs.40 crores during 1997-98, Rs.29.99 crore in the year 2005-06 and Rs.100 crores in the year 2006-07. Presently, MAEF has a Corpus Fund of Rs.200 crores.

Achievements

12.6 Since its inception and upto 31st December,2006, MAEF has sanctioned Rs.91.81 crores to 702 NGOs throughout the country for construction/expansion of schools/colleges/girls hostels/ polytechnics/ITIs and purchase of equipment/machinery /furniture and has distributed scholarships to 6986 girl students amounting to Rs.6.98 crores. Details of state-wise grant-in-aids and scholarships are at Annexures VI and VII respectively. With the increase in the Corpus Fund, the annual income of the Foundation would be around Rs.16 crores. The Foundation would, therefore, expand its activities and coverage substantially.

12.7 To ensure increased accountability and transparency in the functioning of Maluana Azad Education Foundation, the following steps have been taken:-

(i) The staff structure is being strengthened. For the first time, a Senior Administrative Grade level officer has been posted as Secretary to the Foundation on deputation basis;

(ii) The Organisatiion Research Group, an independent agency, has been entrusted with an evaluation study to assess the impact of the programmes of MAEF and to suggest further course of action required for improvement in its functioning. The report of the study is expected shortly;

(iii) An in-house study is proposed to examine the existing guidelines of MAEF and suggest changes, wherever considered necessary, to ensure transparency and efficiency in its functioning. An appropriate schedule/time table for submission of applications, processing of cases and sanctions would be drawn up for different schemes, keeping in mind their requirements and such a calendar would be published. Adequate information on schemes, status of applications, amount distributed to beneficiaries etc. would be put on the web-site; and

(iv) It would be ensured by the Foundation that the limited resources available are allocated to and used in backward areas, with a substantial population of minorities.

CHAPTER 13

NATIONAL COMMISSION FOR RELIGIOUS AND LINGUISTIC MINORITIES.

13.1 The National Commission for Religious and Linguistic Minorities has been set up by Government under the Chairmanship of Justice (Retd.) Ranganath Misra to recommend welfare measures for the socially and economically backward sections among the religious and linguistic minorities vide Notification dated 29th October, 2004. The other Members of the Commission are:

1. Prof. Tahir Mahmood
2. Dr. Anil Wilson
3. Dr. Mohinder Singh

Smt. Asha Das joined the Commission on 10th May, 2005 as Member-Secretary.

13.2 The detailed terms of reference of the Commission are:-

(a) to suggest criteria for identification of socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities;

(b) to recommend measures for the welfare of socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities, including reservation in education and Government employment;

(c) to suggest the necessary constitutional, legal and administrative modalities as required for the implementation of their recommendations, and to present a Report of their deliberations and recommendations; and

(d) to give its recommendations on the issues raised in W.P.180/04 and 94/05 filed in the Supreme Court and in certain High Courts relating to para 3 of the Constitution (Scheduled Castes) Order,1950 in the context of ceiling of 50% reservation as also the modalities of inclusion in the list of Scheduled Castes.

13.3 The report of the Commission is expected by 31st March, 2007.

CHAPTER 14

IMPLEMENTATION OF MINORITIES WELFARE PROGRAMMES/SCHEMES IN NORTH EASTERN STATES AND SIKKIM

14.1 The Naional Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) gives special attention to providing credit to the minorities residing in the North Eastern Region. (NMDFC) schemes are operational in the North Eastern States with the exception of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Sikkim. Under the Term Loan scheme through State Channelising Agencies (SCAs), out of Rs. 827.00 crores provided to the minorities all over the country till 31st December, 2006, the share of North Eastern States has been Rs. 69.21 crores (8.36%). In the current year, an allocation of Rs.19.75 crores (11%) has been made for the North Eastern Region and up to 31st December. 2006, an amount of Rs. 4.00 crores has been released.

CHAPTER 15

GENDER ISSUES

15.1 In view of the fact that women, amongst the minorities, deserve special attention, the National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) has a special focus on the credit needs of women. It has been operating the micro-financing scheme, mainly focusing on poor women belonging to minority communities. The micro-financing scheme of NMDFC mainly aims at the empowerment of women by way of meeting their credit needs through NGOs/SHGs. NMDFC has so far helped around 88,533 beneficiaries with micro-credit of Rs. 34.98 crores. Around 85% of the beneficiaries are women.

Mahila Samridhi Yojana

15.2 NMDFC has also introduced the scheme of Mahila Samridhi Yojana. Under this scheme, women are provided skill development training for duration of six months followed by requisite micro-credit up to Rs.25000, with an interest rate of 4% p.a. for starting income generating activities.

15.3 3000 scholarships of Rs.10,000/- each are sanctioned by Maulana Azad Education Foundation to meritorious girl students belonging to minority communities during a year. Applications have already been received and are being processed.

ANNEXURE I

STATEMENT SHOWING THE SANCTIONED STRENGTH ETC. IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

Sl.No.	Name of Post	Sanctioned Strength	No.of posts Filled	No.of posts Vacant.
01.	Secretary	01	01	Nil
02.	Joint Secretary	03	03	Nil
03.	Director/Deputy Secretary	05	04	01
04.	Under Secretary	04	04	Nil
05.	Assistant Director	02	02	Nil
06	Section Officer	05	04	01
07.	PPS	01	01	Nil
08.	Assistant	11	11	Nil
09.	Senior Investigators	04	02	02
10.	Accountant	01	00	01
11.	Steno Grade 'C'	07	07	Nil
12.	Senior Hindi Translator	01	01	00
13.	Steno Grade 'D'	05	01	04
14.	UDC/LDC	08	01	07
15.	Staff Car Driver	02	01	01
16.	Peons	11	08	03
	Total	**71**	**51**	**20**

ANNEXURE II

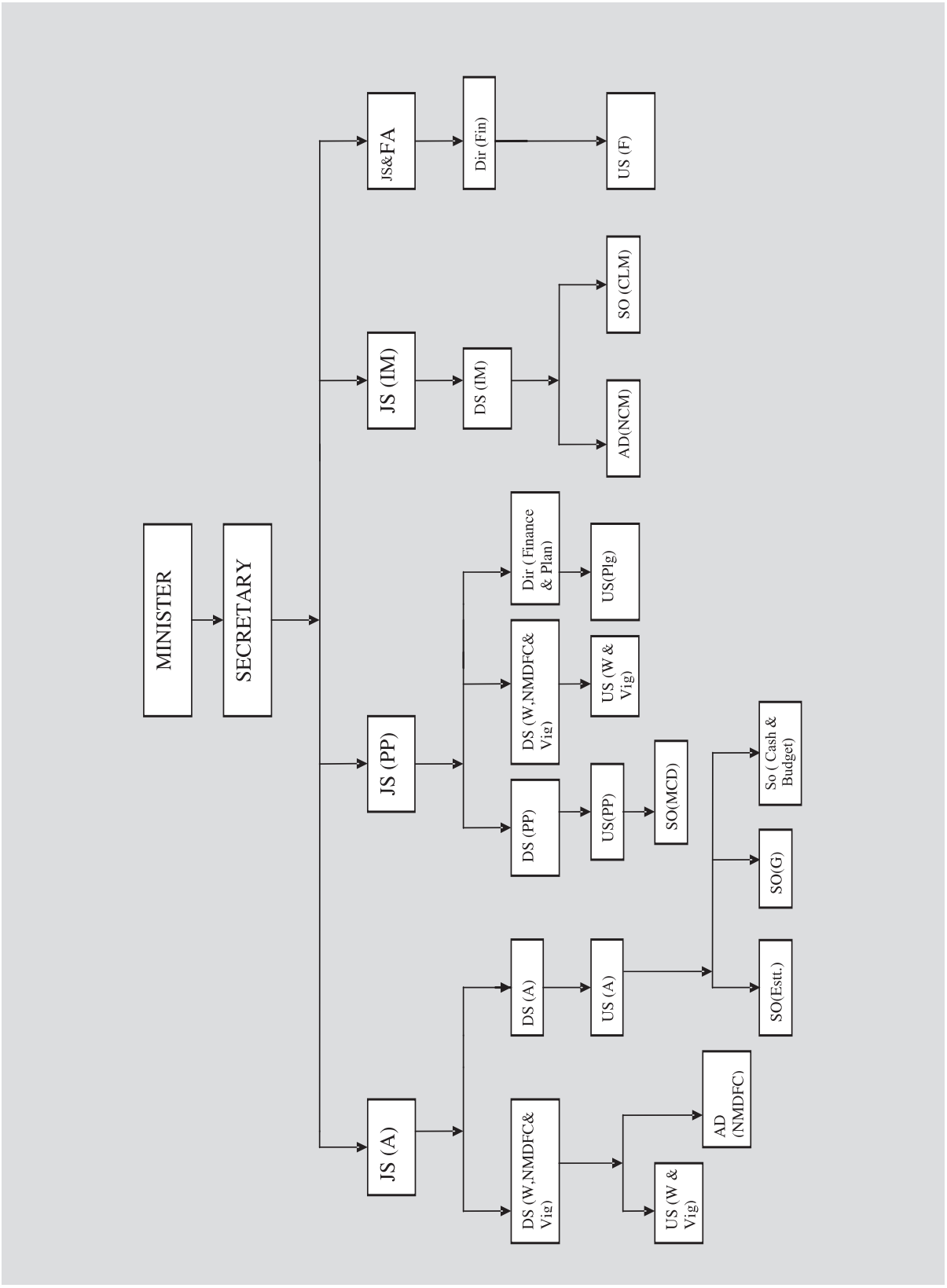
MINISTER
SECRETARY
JS (A)
DS (W,NMDFC& Vig)
US (W & Vig)
AD (NMDFC)
DS (A)
US (A)
SO(Estt.)
SO(G)
So (Cash & Budget)
JS (PP)
DS (PP)
US(PP)
SO(MCD)
DS (W,NMDFC& Vig)
US (W & Vig)
Dir (Finance & Plan)
US(Plg)
JS (IM)
DS (IM)
AD(NCM)
SO (CLM)
JS&FA
Dir (Fin)
US (F)

ANNEXURE III

STATEMENT INDICATING PROGRAMME/SCHEME-WISE ALLOCATION FOR THE YEAR 2006-07

		Plan	Non-Plan	Total
105	**Ministry of Minority Affairs**			
1.	For (i) grants-in-aid to Non-Governmental Institutions to operate and maintain Pre-Examination Training Centre (Rs.0.96 crore), and (ii) Coaching and Allied Scheme (Rs.0.02 crore)	0.98	-	0.98
2.	For grant-in-aid to WAKF Councils	-	2.06	2.06
3.	For meeting establishment related Expenditure of (i) National Commission for Minorities	-	3.67	3.67
	(ii) Special Officer for Linguistic Minorities and	-	1.04	1.04
	(iii)National Commission for Religious and Linguistic Minorities	-	1.99	1.99
4.	For grants-in-aid to State Governments (Rs.0.60 crore) and to Union Territory Governments (0.02 crore) under Coaching and Allied Scheme.	0.62	-	0.62
5.	For equity contribution to National Minorities Finance and Development Corporation (Rs.16.47 crore) and for Undertaking activities in North Eastern Region and Sikkim (Rs.1.82 crore)	18.29	-	18.29

6.	For (i) Corpus Fund to Maulana Azad Education Foundation (Rs.100.00 crore) and (ii) Media Campaign (Rs.1.00 crore)	101.00	-	101.00
7.	For meeting establishment related expenditure of the Secretariat of the Ministry.	-	3.87	3.87
8.	Grants-in-aid to State Governments (Rs.9.00 crore) and to Union Territory Governments (Rs.1.00 crore) towards Merit-cum-Means based scholarships.	10.00	-	10.00
		130.89	12.63	143.52

Annexure IV

PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITIES

(A) Enhancing opportunities for Education

(1) Equitable availability of ICDS Services

The Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme is aimed at holistic development of children and pregnant/lactating mothers from disadvantaged sections, by providing services through Anganwadi Centres such as supplementary nutrition, immunization, health check-up, referral services, pre-school and non-formal education. A certain percentage of the ICDS projects and Anganwadi Centres will be located in blocks/villages with a substantial population of minority communities to ensure that the benefits of this scheme are equitably available to such communities also.

(2) Improving access to School Education

Under the Sarva Shiksha Abhiyan, the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme, and other similar Government schemes, it will be ensured that a certain percentage of al such schools are located in villages/localities having a substantial population of minority communities.

(3) Greater resources for teaching Urdu

Central assistance will be provided for recruitment and posting of Urdu language teachers in primary and upper primary schools that serve a population in which at least one-fourth belong to that language group.

(4) Modernizing Madarsa Education

The Central Plan Scheme of Area Intensive and Madarsa Modernization Programme provides basic educational infrastructure in areas of concentration of educationally backward minorities and resources for the modernization of Madarsa education. Keeping in view the importance of addressing this need, this programme will be substantially strengthened and implemented effectively.

(5) Scholarships for meritorious students from minority communities

Schemes for pre-matric and post- matric scholarships for students from minority communities will be formulated and implemented.

(6) Improving educational infrastructure through the Maulana Azad Education Foundation

The Government shall provide all possible assistance to Maulana Azad Education Foundation (MAEF) to strengthen and enable it to expand its activities more effectively.

(B) Equitable Share in Economic Activities and Employment

(7) Self-Employment and Wage Employment for the poor

(a) The Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY), the primary self-employment programme for rural areas, has the objective of bringing assisted poor rural families above the poverty line by providing them income generating assets through a mix of bank credit and Governmental subsidy. A certain percentage of the physical and financial targets under the SGSY will be earmarked for beneficiaries belonging to the minority communities living below the poverty line in rural areas.

(b) The Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY) consists of two major components namely, the Urban Self-Employment Programme (USEP) and the Urban Wage Employment Programme (UWEP). A certain percentage of the physical and financial targets under USEP and UWEP will be earmarked to benefit people below the poverty line from the minority communities.

(c) The Sampurna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) is aimed at providing additional wage employment in rural areas alongside the creation of durable community, social and economic infrastructure. Since the National Rural Employment Guarantee Programme (NREGP) has been launched in 200 districts, and SGRY has been merged with NREGP in these districts, in the remaining districts, a certain percentage of the allocation under SGRY will be earmarked for beneficiaries belonging to the minority communities living below the poverty line till these districts are taken up under NREGP. Simultaneously, a

certain percentage of the allocation will be earmarked for the creation of infrastructure in such villages, which have a substantial population of minorities.

(8) Upgradation of skills through technical training

A very large proportion of the population of minority communities is engaged in low-level technical work or earns its living as handicraftsmen. Provision of technical training to such people would upgrade their skills and earning capability. Therefore, a certain proportion of all new ITIs will be located in areas predominantly inhabited by minority communities and a proportion of existing ITIs to be upgraded to 'Centres of Excellence' will be selected on the same basis.

(9) Enhanced credit support for economic activities

(a) The National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) was set up in 1994 with the objective of promoting economic development activities among the minority communities. The Government is committed to strengthen the NMDFC by providing it greater equity support to enable it to fully achieve its objectives.

(b) Bank credit is essential for creation and sustenance of self-employment initiatives. A tar get of 40% of net bank credit for priority sector lending has been fixed for domestic banks. The priority sector includes, inter alia, agricultural loans, loans to small-scale industries & small business, loans to retail trade, professional and self-employed persons, education loans, housing loans and micro-credit. It will be ensured that an appropriate percentage of the priority sector lending in all categories is targeted for the minority communities.

(10) Recruitment to State and Central Services

(a) In the recruitment of police personnel, State Governments will be advised to give special consideration to minorities. For this purpose, the composition of selection committees should be representative.

(b) The Central Government will take similar action in the recruitment of personnel to the Central police forces.

(c) Large scale employment opportunities are provided by the Railways,

nationalized banks and public sector enterprises. In these cases also, the concerned departments will ensure that special consideration is given to recruitment from minority communities.

(d) An exclusive scheme will be launched for candidates belonging to minority communities to provide coaching in government institutions as well as private coaching institutes with credibility.

(C) Improving the conditions of living of minorities

(11) Equitable share in rural housing scheme

The Indira Awaas Yojana (IAY) provides financial assistance for shelter to the rural poor living below the poverty line. A certain percentage of the physical and financial targets under IAY will be earmarked for poor beneficiaries from minority communities living in rural

(12) Improvement in condition of slums inhabited by minority communities

Under the schemes of Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) and Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), the Central Government provides assistance to States/UTs for development of urban slums through provision of physical amenities and basic services. It would be ensured that the benefits of these programmes flow equitably to members of the minority communities and to cities/slums, predominantly inhabited by minority communities.

(D) Prevention & Control of Communal Riots

(13) Prevention of communal incidents

In the areas, which have been identified as communally sensitive and riot prone, district and police officials of the highest known efficiency, impartiality and secular record must be posted. In such areas and even elsewhere, the prevention of communal tension district magistrate and superintendent of police. Their performances in this regard should be an important factor in determining their promotion prospects.

(14) Prosecution for communal offences

Severe action should be taken against all those who incite communal tension or take part in violence. Special court or courts specifically earmarked to try communal offences should be set up so that offenders are brought to book speedily.

(15) Rehabilitation of victims of communal riots

Victims of communal riots should be given immediate relief and provided prompt and adequate financial assistance for their rehabilitation.

Annexure-V

GUIDELINES

PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITIES

1. The Hon'ble President, in his address to the Joint Session of Parliament on February 25, 2005, had announced that the Government would recast the 15 Point Programme for the Welfare of Minorities with a view to incorporate programme specific interventions. Prime Minister, in his address on the occasion of Independence Day, 2005, announced inter-alia that "We will also revise and revamp the 15 Point Programme for Minorities. The new 15 Point Programme will have definite goals which are to be achieved in a specific time frame". In pursuance of these commitments, the earlier programme has been revised as the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities. A copy of the programme is at Annexure-IV.

2. The objectives of the programme are as follows:-

a) Enhancing opportunities for education.

b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment, through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment, and recruitment to State and Central Government jobs.

c) Improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for them in infrastructure development schemes.

d) Prevention and control of communal disharmony and violence.

3. An important aim of the new programme is to ensure that the benefits of various government schemes for the underprivileged reach the disadvantaged sections of the

minority communities. The underprivileged among the minorities are, of course, included in the target groups of various government schemes. But in order to ensure that the benefits of these schemes flow equitably to minorities, the new programme envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration areas. It also provides that, wherever possible, 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for minorities.

4. The emphasis of the programme on the maintenance of communal peace and harmony, through appropriate measures, and ensuring a reasonable representation of minorities in government, including the public sector, remains as emphatic as ever and these continue to be important constituents of the new programme.

5. The programme does not envisage any change or relaxation of any criteria, norms or eligibility conditions in any scheme for minorities. These would continue to be as provided for in the original schemes included in the programme.

6. The term 'substantial minority population' in the 15 Point Programme applies to such districts/sub-district units where at least 25% of the total population of that unit belongs to minority communities.

7. (a) The target group of the programme consists of the eligible sections among the minori ties notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992, viz, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis).

(b) In States, where one of the minority communities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 is, in fact, in majority, the earmarking of physical/financial targets under different schemes will be only for the other notified minorities. These states are Jammu & Kashmir, Punjab, Meghalaya, Sikkim, Mizoram and Nagaland. Lakshadweep is the only Union Territory in this group.

8. The new programme will be implemented by Central Ministries/ Departments concerned through State Governments / Union Territories. Each Ministry/Department concerned shall appoint a nodal officer, not below the rank of a Joint Secretary to Government of India, for this programme. The Ministry of Minority Affairs shall be the nodal Ministry for this programme.

9. Physical Targets and Financial Outlays:

Considering the complexity of the programme and its wide reach, wherever possible, Ministries/Departments concerned will earmark 15 percent of the physical targets and financial outlays for minorities. These will be distributed between States/UTs on the basis of the proportion of Below Poverty Line (BPL) population of minorities in a particular State/Union Territory to the total BPL population of minorities in the country, subject to the following:-

(a) (i) For schemes applicable exclusively to rural areas, only the ratio relevant to the BPL minority population in rural areas would be considered.
(ii) For schemes applicable exclusively to urban areas, only the ratio relevant to the BPL minority population of urban areas would be considered.
(iii) For others, where such differentiation is not possible, the total would be considered.

(b) For States/UT referred to in para 7 (b), the earmarking will only be for the BPL minorities, other than that in majority.

10. The schemes amenable to such earmarking are the following:-

Point No. (A) Enhancing opportunities for Education

(1) Equitable availability of ICDS Services
Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme by providing services through Anganwadi Centres
(2) Improving access to School Education
Sarva Shiksha Abhiyan, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme, and other similar Government schemes.

Point No. (B) Equitable Share in Economic Activities and Employment

(7) Self-Employment and Wage Employment for the poor
(a) Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY)
(b) Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)
(c) Sampurna Grameen Rozgar Yojana (SGRY)

(8) Upgradation of skills through technical training
New Industrial training Institutes (ITI) and upgradation of existing ITI.
(9) Enhanced credit support for economic activities
(b) Bank credit under priority sector lending.

Point No. (C) Improving the conditions of living of minorities

(11) Equitable share in rural housing scheme
Indira Awaas Yojana (IAY)
(12) Improvement in condition of slums inhabited by minority communities
Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) and Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)

11. Implementation, Monitoring and Reporting -

A. Ministry/Department Level:

Ministries/Departments implementing the schemes, included in the programme shall continue to implement and monitor these schemes with reference to the physical targets and financial outlays. They are expected to review the progress of the programme on a monthly basis and report the progress of implementation, in respect of the schemes under this programme, on a quarterly basis, by the fifteenth day of next quarter, to the Ministry of Minority Affairs.

B. State/UT Level:

(i) States/UTs are expected to constitute a State Level Committee for Implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities headed by the Chief Secretary with members consisting of the Secretaries and Heads of Departments implementing the schemes under the 15 Point Programme, representatives from the Panchayati Raj Institutions/Autonomous District Councils, three representatives from reputed non-governmental institutions dealing with minorities and three such other members considered appropriate by the state government/UT administration. The Minority Affairs Department of the State/UT may be made the nodal department for monitoring the 15 Point Programme. The Committee should meet at least once every quarter and the Minority Affairs

Department of the State/UT may send a quarterly progress reports to the Ministry of Minority Affairs by the 15th day of the next quarter.

(ii) District Level:

Similarly, at the district level, a District Level Committee for Implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities may be constituted headed by the Collector/Deputy Commissioner of the district, with District level officers of the departments implementing the programme, representatives from the Panchayati Raj Institutions/Autonomous District Councils, and three representatives from reputed institutions dealing with minorities. The District Level Committee shall report progress of implementation to the Minority Affairs Department of the state government/UT administration for placing it before the State Level Committee.

C. Central Level:

(i) At the central level, the progress of implementation, with reference to targets, will be monitored once in six months by a Committee of Secretaries (COS), and a report will be submitted to the Union Cabinet. The Ministry of Minority Affairs shall be the nodal Ministry to prepare reports in this regard for placing before the COS and the Union Cabinet once in six months. All Ministries/Departments concerned with this programme shall submit quarterly reports to the Ministry of Minority Affairs by the 15th day of the next quarter.

(ii) There shall be a Review Committee for the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of the Minorities headed by Secretary, Ministry of Minority Affairs, with nodal officers from all the Ministries/Department concerned which shall meet at least once every quarter to review the progress, obtain feedback and resolve problems and provide clarifications, as might be needed.

Annexure VI

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

Statewise Summary of Grant-in-Aid sanctioned. 31.12.2006

S.No.	State/U.Ts	Amount Sanctioned (Rs)	No. Of NGOS
1	Andaman	1000000	1
2	Andhra Pradesh	53730000	36
3	Assam	17000000	9
4	Bihar	45701800	30
5	Delhi	16855500	13
6	Goa	5300000	3
7	Gujarat	64411800	44
8	Haryana	12260000	10
9	Jammu & Kashmir	19142000	12
10	Jharkhand	5800000	4
11	Karnataka	82066800	57
12	Kerala	70550000	37
13	Madhya Pradesh	31503000	29
14	Maharashtra	102863500	79
15	Manipur	8500000	5
16	Orissa	3762000	7
17	Punjab	6167000	6
18	Rajasthan	24750000	16
19	Tamil Nadu	20628200	16
20	Uttarakhand	6500000	5
21	Uttar Pradesh	281559020	256
22	West Bengal	38140000	27
	TOTAL	918190620	702

ANNEXURE VII

STATE-WISE SCHOLARSHIPS TO MERITORIOUS GIRL STUDENTS SANCTIONED BY MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION DURING THE LAST THREE YEARS

S.No	State/Union Territory	Number of Scholarships Sanctioned			Total
		2003-2004	2004-2005	2005-2006	
1.	Andaman & Nicobar	0	0	4	4
2.	Andhra Pradesh	53	110	145	308
3.	Assam	2	81	131	214
4.	Bihar	2	178	221	401
5.	Chandigarh	0	9	0	9
6.	Chattisgarh	8	0	12	20
7.	Goa	0	8	6	14
8.	Gujarat	0	505	77	582
9.	Haryana	8	5	0	13
10.	Himachal Pradesh	4	0	0	4
11.	Jammu & Kashmir	0	319	34	353
12.	Jharkhand	2	40	62	104
13.	Karnataka	31	137	838	1006
14.	Kerala	80	150	159	389
15.	Madhya Pradesh	17	70	64	151
16.	Maharashtra	53	147	406	606
17.	Manipur	11	11	12	34
18.	Meghalaya	0	0	2	2
19.	Mizoram	0	2	13	15
20.	Nagaland	8	0	0	8
21.	NCT of Delhi	7	50	48	105
22.	Orissa	12	30	13	55
23.	Punjab	4	14	15	33
24.	Rajasthan	2	41	76	119

25.	Tamil Nadu	34	120	91	245
26.	Tripura	0	0	3	3
27.	Uttar Pradesh	174	452	727	1353
28.	Uttarakhand	6	11	14	31
29.	West Bengal	116	291	398	805
	Total	**634**	**2781**	**3571**	**6986**